



## **The Uttarakhand Char Dham Devasthanam Management Board Act, 2019**

Act 6 of 2020

**Keyword(s):**

Char Dham, Travel Agency

**DISCLAIMER:** This document is being furnished to you for your information by PRS Legislative Research (PRS). The contents of this document have been obtained from sources PRS believes to be reliable. These contents have not been independently verified, and PRS makes no representation or warranty as to the accuracy, completeness or correctness. In some cases the Principal Act and/or Amendment Act may not be available. Principal Acts may or may not include subsequent amendments. For authoritative text, please contact the relevant state department concerned or refer to the latest government publication or the gazette notification. Any person using this material should take their own professional and legal advice before acting on any information contained in this document. PRS or any persons connected with it do not accept any liability arising from the use of this document. PRS or any persons connected with it shall not be in any way responsible for any loss, damage, or distress to any person on account of any action taken or not taken on the basis of this document.



# सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

## असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-1, खण्ड (क)

(उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, बुधवार, 15 जनवरी, 2020 ई0

पौष 25, 1941 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 17/XXXVI (3)/2020/83(1)/2019

देहरादून, 15 जनवरी, 2020

अधिसूचना

विविध

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 200 के अधीन मा0 राज्यपाल ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित ‘उत्तराखण्ड चार धाम देवस्थानम् प्रबन्धन विधेयक, 2019’ पर दिनांक 13 जनवरी, 2020 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड का अधिनियम संख्या: 06 वर्ष, 2020 के रूप में सर्व-साधारण के सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तराखण्ड चार धाम देवस्थानम् प्रबन्धन अधिनियम, 2019  
(उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 06, वर्ष 2020)

अनुक्रमणिका

धाराएं	विवरण
	अध्याय एक प्रारम्भिकी
1.	संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ
2.	परिभाषाएं
	अध्याय दो बोर्ड का गठन, कार्य और शक्तियां
3.	चार धाम देवस्थानम् बोर्ड का गठन
4.	बोर्ड के कर्तव्य और शक्तियां
5.	सदस्यों की सेवा शर्तें और निबन्धन
6.	नामांकित सदस्यों की अनर्हता और दायित्व
7.	निरर्हता पर नामित सदस्य की रिक्ति
8.	बोर्ड की बैठकें
9.	बोर्ड या समिति के गठन में रिक्ति कोई प्रभाव नहीं डालेगी
	अध्याय तीन उच्चस्तरीय समिति का गठन
10.	देवस्थानम् प्रबन्ध और यात्रा समन्वय के लिए उच्चस्तरीय समिति का गठन
11.	उच्च स्तरीय समिति के कार्य और कर्तव्य
12.	बैठक अनुसूची
	अध्याय चार अधिकारियों एवं अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति
13.	मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति
14.	मुख्य कार्यकारी अधिकारी की सहायता हेतु अधिकारी
15.	मुख्य कार्यकारी अधिकारी की शक्तियाँ और कृत्य
16.	मुख्य कार्यकारी अधिकारी का कार्यालय

	<b>अध्याय पांच</b> <b>धार्मिक संस्थाओं द्वारा रजिस्ट्रों की तैयारी और अनुरक्षण</b>
17.	चार धाम देवस्थानम्/धार्मिक संस्थाओं द्वारा रजिस्ट्रों को तैयार करना और अनुरक्षण
18.	रजिस्ट्रों का वार्षिक सत्यापन
	<b>अध्याय छः</b> <b>चार धाम देवस्थानम् का प्रशासन और प्रबंधन</b>
19.	न्यासी/हकहकूकधारियों, इत्यादि के अधिकार एवं कर्तव्य
20.	न्यासी लेखों, विवरणों इत्यादि को उपलब्ध करायेगा
21.	सम्पति और अभिलेखों का निरीक्षण
22.	बोर्ड में कतिपय सम्पतियों का निहित होना
23.	अधिनियम के अधीन आच्छादित चार धाम देवस्थानम् की अचल सम्पतियों का निहित होना
24.	अभिलेखों के रजिस्ट्रों पर प्रतिबंध
25.	अबिधिक रूप से समाहित अचल सम्पति की ब्रसूली
26.	चार धाम देवस्थानम् से सम्बंधित भूमि और परिसरों पर अतिक्रमण को हटाना
27.	चार धाम देवस्थानम् के संरक्षण और विकास के लिए कार्य करने की शक्तियां
	<b>अध्याय सात</b> <b>न्यासी, पुजारी, रावल इत्यादि की नियुक्ति, सहबद्धता और निर्योग्यता</b>
28.	पुजारी इत्यादि की नियुक्ति और सहबद्धता करने के लिए प्रक्रिया तथा उनके निर्बन्धन
29.	न्यासी, पुजारी इत्यादि को हटाया जाना
30.	न्यासी, रावल और पुजारी इत्यादि की निर्योग्यताएं
31.	वंशानुगत पुजारी, न्यासी, रावल या पुजारी के पद में रिक्ति की पूर्ति
	<b>अध्याय आठ</b> <b>वित्त, चार धाम निधि और बजट एवं लेखों का अनुरक्षण</b>
32.	वित्त, चार धाम निधि का गठन, बजट, लेखों और अवशेषों का भू-राजस्व के रूप में वसूली योग्य धनराशि
33.	मंदिर बकाया की वसूली
34.	हुण्डी का संस्थापन
35.	बोर्ड द्वारा आय व्ययक की तैयारी और उसका प्रस्तुतिकरण
36.	लेखों का अनुरक्षण और अंकेक्षण

अध्याय नौ अपराध तथा शास्तियां	
37.	न्यासी इत्यादि द्वारा इस अधिनियम के उपबंधों का अनुपालन न करने के लिए शास्ति
38.	धार्मिक संस्थाओं से सम्बंधित सम्पति को त्रुटिपूर्ण रूप से रोके रखने तथा किसी अन्य स्थान पर पारम्परिक मूर्ति को स्थापित करने प्रतिरूप के लिए शास्ति
39.	अपराध असंज्ञेय और जमानतीय होना
40.	अपराधों का संज्ञान
अध्याय दस विविध	
41.	सद्भावपूर्वक की गयी कार्यवाही के लिए संरक्षण
42.	कठिनाई निवारण करने की शक्ति
43.	बोर्ड हिन्दू देवस्थानम् इत्यादि के अतिरिक्त देवस्थानम् इत्यादियों के विकास के लिए निधियां प्राप्त कर सकेगा
44.	अनुसूची में संशोधन
45.	कतिपय धार्मिक संस्थाओं पर अधिनियम का लागू न होना
46.	नियम एवं विनियम बनाने की शक्ति
47.	क्षेत्राधिकार का प्रतिबंध
48.	अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव
49.	निरसन और व्यावृत्तियां

उत्तराखण्ड चार धाम देवस्थानम् प्रबन्धन अधिनियम, 2019

(उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 06, वर्ष 2020)

उत्तराखण्ड में स्थित चार धामों तथा प्रसिद्ध मंदिरों के कायाकल्प तथा देवस्थानम् प्रबन्धन बोर्ड की व्यवस्था करने के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में उत्तराखण्ड राज्य विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो,—

**अध्याय एक**  
**प्रारम्भिकी**

- |                                    |    |   |
|------------------------------------|----|---|
| संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ | 1. | (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड चार धाम देवस्थानम् प्रबंधन अधिनियम, 2019 है।<br>(2) यह चार धाम और इस अधिनियम में संलग्न अनुसूची के क, ख, ग, घ और ङ में दिये गये अन्य देवस्थानम्/मंदिरों पर लागू होगा।<br>(3) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।  |
| परिभाषाएं                          | 2. | इस अधिनियम में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो —<br>(क) "अधिनियम" से उत्तराखण्ड चार धाम देवस्थानम् प्रबंधन अधिनियम 2019 अभिप्रेत है;<br>(ख) "बोर्ड" से इस अधिनियम की धारा 3 के अधीन गठित चार धाम देवस्थानम् बोर्ड, अभिप्रेत है।<br>(ग) "मुख्य कार्यकारी अधिकारी" से हिन्दू धर्म का अनुयायी अखिल भारतीय सेवा के उच्चतम वेतनमान (super time scale) के वेतन में कार्यरत, अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी अभिप्रेत है और इसमें तत्समय इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये नियमों के अधीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में शक्तियों का प्रयोग और दायित्वों का निर्वहन करने वाला अधिकारी सम्मिलित है;<br>(घ) "चार धाम" से उत्तराखण्ड में अवस्थित श्री बद्रीनाथ धाम, श्री केदारनाथ धाम और गंगोत्री तथा यमुनोत्री के पवित्र देवस्थानम् तथा इस अधिनियम की अनुसूची में यथाउल्लिखित एवं राज्य |

सरकार द्वारा समय-समय पर अनुसूची में उल्लिखित मंदिर अभिप्रेत है और इसमें सम्मिलित है—

- (i) पूजा, अनुरक्षण या सुधार, किसी सेवा के निष्पादन या उससे सम्बंधित दान के लिए दी गयी या उससे सम्बंधित समस्त चल या अचल सम्पत्ति; और
- (ii) मंदिर में स्थापित मूर्तियाँ, चित्र, आभूषण और सजावट इत्यादि के लिए अन्य वस्तुएं;
- (इ) "अध्यक्ष" से अधिनियम की धारा 3 के अधीन गठित बोर्ड का अध्यक्ष और उसकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष अभिप्रेत है;
- (च) "दानदाता" से ऐसा व्यक्ति या संगठन अभिप्रेत है, जिसने ऐसी नकद धनराशि या सेवाओं के रूप में दान किया है, जो उत्तराखण्ड में चार धाम देवस्थानम् के विकास के लिए महत्वपूर्ण है;
- (छ) "उत्तराखण्ड चार धाम निधि" से अधिनियम की धारा 32 के अधीन गठित और अनुरक्षित निधि अभिप्रेत है;
- (ज) "कर्मचारी" से मंदिर समिति या बोर्ड के अधीन स्थायी रूप से नियुक्त व्यक्ति अभिप्रेत है;
- (झ) "सरकार" से उत्तराखण्ड राज्य की सरकार अभिप्रेत है;
- (ञ) "हक-हकूदार" से ऐसा व्यक्ति अथवा समुदाय विशेष अभिप्रेत है, जिसे अधिनियम की अनुसूची में वर्णित धार्मिक देवस्थानम्/मंदिरों, अनुष्ठान क्षेत्र में पूजा के सम्पादन हेतु प्रचलित परम्परा अथवा पारम्परिक अधिकार के अनुसार दस्तूर के रूप में कुछ प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त है;
- (ट) "वंशानुगत पुजारी" से चार धाम देवस्थानम्/किसी धार्मिक संस्था का न्यासी या पुजारी जिसका उत्तराधिकार किसी रुढ़ि द्वारा विनियमित होता है या वंशानुगत उत्तराधिकार द्वारा न्यायगत होता हो ;
- (ठ) "हिन्दू धर्म" से हिन्दुओं का ऐसा सम्प्रदाय, जो सनातन धर्म को मानते हैं या उसमें विश्वास रखते हैं, अभिप्रेत है;
- (ड) "किसी अधिकार का धारक" से मंदिर समिति द्वारा मुख्य मंदिर या प्रमुख देवस्थानम् में प्रचलित परम्परा एवं रुढ़िगत अधिकारों द्वारा नियुक्त व्यक्ति अभिप्रेत है;
- (ढ) "सदस्य" से अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) तथा (2) में यथा उल्लिखित बोर्ड का सदस्य अभिप्रेत है;

- (ण) "गैर-वंशानुगत पुजारी" से ऐसा न्यासी या पुजारी अभिप्रेत है जो वंशानुगत नहीं है;
- (त) "विहित" से सरकार के अनुमोदन से इस अधिनियम के अधीन बोर्ड द्वारा बनाये गये विनियम अभिप्रेत है;
- (थ) "पुजारी" से मंदिर में पूजा सम्पादित कराने वाला या रीतियों या परम्पराओं के अनुसार किसी देवता की पूजा सम्पादित करने वाला पुजारी अभिप्रेत है और इसमें पण्डा, पुरोहित या अन्य कोई व्यक्ति जो किसी देवस्थानम् या किसी धार्मिक संस्था में आचार्य के रूप में पूजा अर्चना या अन्य अनुष्ठान सम्पादित करता है, सम्मिलित है;
- (द) "रावल" से श्री बद्रीनाथ और श्री केदारनाथ में पूजा तथा अन्य धार्मिक कृत्यों को करने के लिये विद्यमान रुढिगत अधिकारों के अनुसार नियुक्त व्यक्ति अभिप्रेत है और जिसमें रावल तथा नायब रावल दोनों सम्मिलित हैं;
- (ध) "अनुसूची" से इस अधिनियम में संलग्न अनुसूची अभिप्रेत है;
- (न) "धारा" से इस अधिनियम की धारा अभिप्रेत है;
- (प) "देवस्थानम्" से भवन, स्थान या अन्यथा किसी रूप में ऐसा स्थान अभिप्रेत है जो देवत्व, पवित्र व्यक्ति या अवशेष से सम्बन्धित होने के कारण पवित्र माना जाता है;
- (फ) "देवस्थानम् क्षेत्र" से भारत के पुरातत्व सर्वेक्षण के अधीन अधिसूचित क्षेत्र को छोड़कर इस अधिनियम के अधीन सम्मिलित करने के प्रयोजनार्थ राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित क्षेत्र अभिप्रेत है;
- (ब) "मंदिर" से कोई ऐसा स्थान चाहे जिस भी नाम से ज्ञात हो, जो सार्वजनिक धार्मिक पूजा स्थल के रूप में प्रयोग किया जाता हो और हिन्दू समुदाय द्वारा या सनातन धर्म या सार्वजनिक धार्मिक पूजा स्थल के रूप में किसी भी वर्ग को लाभान्वित करने हेतु समर्पित हो, के अधिकार के रूप में प्रयोग किया जाता हो, अभिप्रेत है;



- (भ) "न्यासी" से चार धाम देवस्थानम् के सम्बंध में ऐसा कोई व्यक्ति जिसने किसी परम्परा, रीति या पद्धति या किसी सम्यक मान्यता के अधीन विधिवत मान्यता प्राप्त वंशानुगत योगदान दिया हो सम्मिलित है;
- (म) "मंदिर समिति" से उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 26 वर्ष 1939 और उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 7 वर्ष 1964 द्वारा यथासंशोधित के अधीन गठित बद्रीनाथ-कंदारनाथ मन्दिर समिति या अनुसूची के अधीन मंदिर के प्रबंधन के लिए गठित कोई अन्य समिति अभिप्रेत है; और
- (य) "यात्रा समन्वय" से उत्तराखण्ड में चार धाम यात्रा के समुचित और सामान्य संचालन के लिए राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में समन्वय तथा तीर्थ यात्रियों हेतु समुचित सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए यथा सुरक्षित पेयजल, स्वच्छ शौचालय सुविधा, परिवहन सुविधा, निवास और भोजन सुविधा इत्यादि उपलब्ध कराना अभिप्रेत है।

#### अध्याय दो

#### बोर्ड का गठन, कार्य और शक्तियां

चार धाम देवस्थानम् बोर्ड का गठन

3. (1) राज्य सरकार ऐसी तारीख से जैसा वह राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे, इस अधिनियम के अधीन दी गयी शक्तियों का प्रयोग और कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए चार धाम देवस्थानम् बोर्ड का गठन करेगी।
- (2) बोर्ड में सम्मिलित होंगे—
- (क) शासकीय सदस्य—
- (एक) उत्तराखण्ड सरकार का मुख्यमंत्री जो कि बोर्ड का अध्यक्ष होगा और यदि मुख्यमंत्री हिन्दू नहीं है तो वह मंत्री परिषद् कि किसी वरिष्ठ मंत्री जो हिन्दू धर्म का अनुयायी हो एवं बोर्ड के सदस्य के रूप में नियुक्त होने के लिए अर्हता रखता हो, को नामित करेगा।
- (दो) संस्कृति मामलों का मंत्री उपाध्यक्ष होगा तथा यदि वह हिन्दू नहीं है तो मुख्यमंत्री मंत्रीपरिषद् के किसी वरिष्ठ मंत्री जो हिन्दू धर्म का अनुयायी हो एवं बोर्ड के सदस्य के रूप में नियुक्त होने के लिये अर्हता रखता हो, को नामित करेगा।

- (तीन) उत्तराखण्ड सरकार का मुख्य सचिव बोर्ड का पदेन सदस्य होगा।
- (चार) उत्तराखण्ड सरकार के पर्यटन विभाग का सचिव बोर्ड का पदेन सदस्य होगा।
- (पांच) उत्तराखण्ड सरकार के संस्कृति और धार्मिक मामलों के विभाग का सचिव बोर्ड का पदेन सदस्य होगा।
- (छः) उत्तराखण्ड सरकार के वित्त विभाग का सचिव बोर्ड का पदेन सदस्य होगा।
- (सात) संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार से विशेष आमंत्रित व्यक्ति जो कि संयुक्त सचिव की श्रेणी से निम्न न हो,
- (आठ) अधिनियम के अधीन नियुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी सदस्य सचिव होगा।

(ख) नामांकित सदस्य—

- (एक) राज्य सरकार द्वारा नामित पूर्व टिहरी रियासत के राज परिवार का सदस्य या उसके द्वारा नामित व्यक्ति;
- (दो) हिन्दू धर्म का अनुसरण करने वाले उत्तराखण्ड राज्य के तीन से अनधिक सांसद राज्य सरकार की अनुशंसा पर संसद द्वारा नामांकित;
- (तीन) हिन्दू धर्म का अनुसरण करने वाले राज्य विधान सभा के सदस्यों में से राज्य विधान सभा द्वारा नामित छः से अनधिक व्यक्ति राज्य सरकार की अनुशंसा पर;
- (चार) राज्य सरकार द्वारा नामित चार से अनधिक सदस्य जो दानदाता (भूत, वर्तमान या भविष्य) हो और हिन्दू धार्मिक मामलों में विशेष रूचि रखता हो, में से होंगे।
- (पांच) राज्य सरकार द्वारा नामित सनातन धर्म से सम्बन्धित हिन्दू धर्म के धार्मिक मामलों का व्यापक अनुभव रखने वाला ख्याति प्राप्त व्यक्ति;
- (छः) पुजारियों या वंशानुगत पुजारियों का प्रतिनिधित्व करने के लिये बद्री-केदार, यमुनोत्री-गंगोत्री और अनुसूची में वर्णित धार्मिक

देवस्थानों में किसी अधिकार को धारण करने वाले तीन ख्याति-प्राप्त व्यक्तियों को राज्य सरकार द्वारा नामित किया जायेगा।

(3) बोर्ड एक स्थायी उत्तराधिकार वाला निगमित निकाय होगा और इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन शक्तियों सहित सामान्य मुद्रा होगी।

बोर्ड के कर्तव्य और शक्तियां 4.

- (1) बोर्ड इस अधिनियम के अधीन नीतियों को बनाने, इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने के लिये निर्णय करने, आय-व्ययक सृजन और आय व्ययक का अनुमोदन, लिये मर्चे कार्यों का पुनरीक्षण और योजना तथा देवस्थानम् के प्रबंधन और प्रबंधन तंत्र का आधुनिकीकरण के लिए देवस्थानम् प्रबंधन के प्रयोजनार्थ उच्चतम संचालक संस्था होगी।
- (2) बोर्ड, इस अधिनियम की अनुसूची में उल्लिखित सभी धार्मिक मंदिरों में निहित सम्पत्ति, निधियों, मूल्यवान प्रतिभूतियों, आभूषणों के सुरक्षित रखरखाव, उनके संरक्षण तथा प्रबंधन के लिए निर्देश दे सकेगा।
- (3) बोर्ड, अधिनियम के सुचारु संचालन के लिए बोर्ड द्वारा सहयुक्त किसी व्यक्ति या अभिकरण या संस्था को नियमों द्वारा पारिश्रमिक, वेतन और भत्ते देने के लिये प्रक्रिया विहित करेगा और बोर्ड के चार धाम निधि से भुगतान करेगा।
- (4) बोर्ड, समय-समय पर इस अधिनियम की अनुसूची में किसी देवस्थानम् के सम्मिलन अथवा अपवर्जन से सम्बंधित कोई संशोधन करने या देवस्थानम् प्रबंधन के हित में किसी उपकर/शुल्क को अधिरोपित करने के लिए राज्य सरकार को संस्तुति करेगा।
- (5) बोर्ड, राज्य सरकार की सहमति से बद्दीनाथ-कैदारनाथ मन्दिर समिति के मामलों के सम्बंध में इस अधिनियम के अधीन सेवाएं देने वाले या सेवा में रखे गये किसी व्यक्ति की सेवाओं की शर्तों और निबन्धनों को निश्चित करेगा।
- (6) बोर्ड, मंदिर या उसके तीर्थ यात्रियों की सुविधा के कुशल प्रबन्धन हेतु आवश्यक और आनुषांगिक सभी गतिविधियों का पर्यवेक्षण, निर्देशन और नियंत्रण करेगा।

- (7) बोर्ड को प्रथागत तथा वंशानुगत अधिकारों एवं हकहकूकधारियों के अधिकारों से सम्बन्धित किसी भी विषय अथवा विवाद को सुनने के लिये समिति गठित करने का अधिकार होगा। उक्त के सम्बंध में किसी प्रकार के परिवर्तन-परिवर्धन का अधिकार बोर्ड में सन्निहित होगा।
- (8) मुख्य कार्यकारी अधिकारी के निर्णय के विरुद्ध 30 दिन के भीतर बोर्ड के समक्ष अपील की जा सकेगी।

सदस्यों की सेवा 5.  
शर्तें और निबन्धन

- (1) बोर्ड का नामित सदस्य एक समय में पांच वर्षों की अवधि के लिए अपना पद धारण करेगा जो कि राज्य सरकार द्वारा नवीनीकृत किया जा सकेगा।
- (2) धारा 3 की उपधारा (2) के खण्ड (क) के उपखण्ड (दो), (तीन), (चार), (पांच), (छः) और (सात) के अधीन नियुक्त किसी शासकीय सदस्य की पदावधि समाप्त हो जायेगी जैसे ही वह, यथास्थिति, राज्य सरकार या केन्द्र सरकार के अधीन कोई लाभ का पद धारण कर लेता है।
- (3) राज्य सरकार, यदि उचित समझे, बोर्ड के किसी नामांकित सदस्य को सुनवाई का समुचित अवसर देकर उसके पद से उसकी पद की समाप्ति से पूर्व हटा सकेगी।
- (4) अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या पदेन सदस्य को छोड़कर बोर्ड के किसी सदस्य का पद लगातार तीन बैठकों में, बोर्ड के विचार से, बिना पर्याप्त कारणों के अनुपस्थित रहने पर अथवा यदि वह अपने पद की सदस्यता (सांसद/विधायक इत्यादि) खो देता है तो रिक्त हो जायेगा।
- (5) बोर्ड में आकस्मिक रिक्ति नये नामांकन से भरी जायेगी और रिक्ति को भरने वाला नामांकित व्यक्ति केवल उस सदस्य की शेष अवधि के लिए पद धारण करेगा, जिसके स्थान पर उसे नामित किया गया था।

नामांकित सदस्यों 6.  
की अनर्हता और  
दायित्व

- (1) राज्य सरकार अधिनियम से आच्छादित बोर्ड के किसी नामांकित सदस्य को निम्नलिखित आधारों पर हटा सकेगी:—

- (क) यदि वह दिवालिया है; या
- (ख) यदि वह विकृत चित्त है और सक्षम न्यायालय द्वारा की गयी ऐसी घोषणा विद्यमान हो; या
- (ग) वह नैतिक अधमता के किसी अपराध का दोषी है; या
- (घ) वह इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिए 'सिद्धदोष' है; या
- (ङ.) इस अधिनियम के अधीन बोर्ड या संस्था के मामलों में उसके विकास, परिवहन, संविदा इत्यादि के व्यवहार में किसी फर्म/कम्पनी का कोई अंश या हित प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में उसके द्वारा या किसी सहयोगी के द्वारा संलग्न है, या
- (च) उसने सदस्य के रूप में अपने पद का दुरुपयोग किया है और राज्य सरकार या बोर्ड की राय में उसका बोर्ड के सदस्य पद पर बना रहना सामान्य जनता के हित में नहीं है।
- (2) इस धारा के अधीन राज्य सरकार या बोर्ड द्वारा उसको सदस्य पद से हटाये जाने का कोई आदेश तब तक पारित नहीं किया जायेगा जब तक उसे उसे कारण बताने का समुचित अवसर न दे दिया गया हो।
- (3) इस अधिनियम में किसी अन्य बात के होते हुए भी बोर्ड का प्रत्येक सदस्य उत्तराखण्ड चार धाम निधि की हानि, दुर्व्यय या दुर्विनियोग के लिए उत्तरदायी होगा, यदि ऐसी हानि, दुर्व्यय या दुर्विनियोग उसके जानबूझकर किये गये कार्य का प्रत्यक्ष परिणाम है। उसके विरुद्ध बोर्ड द्वारा क्षतिपूर्ति के लिए वाद योजित किया जा सकेगा।

निरर्हता पर नामित 7. यदि बोर्ड के कोई नामांकित सदस्य धारा 6 में विनिर्दिष्ट किसी सदस्य की रिक्ति निरर्हता के अधीन है, तो तदुपरान्त उसका पद रिक्त हो जायेगा।

बोर्ड की बैठकें 8. (1) बोर्ड, वर्ष में न्यूनतम एक बार ऐसे स्थान पर बैठक करेगा और यथाविहित रूप में बैठक में कार्य के व्यवहरण के सम्बंध में ऐसे नियमों और प्रक्रियाओं का पालन करेगा, जैसा बोर्ड नियत करे:

परन्तु यह कि यदि अध्यक्ष की राय में अत्यावश्यक प्रकृति का कोई कार्य सम्पादित किया जाना हो तो वह उपयुक्त प्रयोजनों के लिए ऐसे समय पर बोर्ड की विशेष बैठक आहूत कर सकेगा, जैसा वह ठीक समझे।

- (2) बोर्ड की प्रत्येक बैठक अध्यक्ष या उसकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में सम्पन्न होगी।
- (3) किसी बैठक में तब तक कोई कार्य व्यवहृत नहीं किया जायेगा जब तक अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के अतिरिक्त न्यूनतम छः सदस्य उपस्थित न हो।
- (4) मुख्य कार्यकारी अधिकारी या मुख्य कार्यकारी अधिकारी के कृत्यों को सम्पादित करने वाला व्यक्ति बोर्ड का पदेन सचिव होगा और बोर्ड के कार्यों के संचालन के लिए उत्तरदायी होगा।
- (5) बोर्ड का प्रत्येक निर्णय जब तक इस अधिनियम में अन्यथा उपबंधित न हो, सर्वसम्मति से लिया जायेगा।
9. बोर्ड या समिति के गठन में रिक्ति कोई प्रभाव नहीं डालेगी
- (1) बोर्ड का कोई कार्य या कार्यवाही केवल इस आधार पर अमान्य या प्रश्नांकित नहीं की जायेगी कि यथास्थिति बोर्ड में कोई रिक्ति विद्यमान थी या बोर्ड के गठन में कोई त्रुटि थी।
- (2) इस अधिनियम के अधीन अपने कार्यों का निर्वहन करने वाले सभी व्यक्तियों को भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा-21 के अन्तर्गत लोक सेवक समझा जायेगा।

### अध्याय तीन

#### देवस्थानम्-प्रबंधन और यात्रा समन्वय के लिए उच्चस्तरीय समिति का गठन

10. देवस्थानम्-प्रबंधन और यात्रा समन्वय के लिए उच्चस्तरीय समिति का गठन
- (1) राज्य सरकार, धार्मिक यात्रा के समुचित संचालन के लिए अंतर्विभागीय समन्वय के प्रयोजनार्थ, एक उच्च स्तरीय समिति का गठन करेगी।
- (2) राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा निम्नलिखित अधिकारियों को समिति के सदस्य के रूप में नियुक्त करेगी:-
- क- उत्तराखण्ड सरकार का मुख्य सचिव- अध्यक्ष,
- ख- प्रमुख सचिव/सचिव, पर्यटन - सदस्य,
- ग- प्रमुख सचिव/सचिव, संस्कृति एवं धर्मस्व - सदस्य,
- घ- प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त - सदस्य,
- ड.- प्रमुख सचिव/सचिव, राजस्व - सदस्य,

- च- प्रमुख सचिव/सचिव, गृह - सदस्य,  
 छ- प्रमुख सचिव/सचिव, लोक निर्माण विभाग - सदस्य,  
 ज- प्रमुख सचिव/सचिव, शहरी विकास - सदस्य,  
 झ- प्रमुख सचिव/सचिव, ग्रामीण विकास - सदस्य,  
 ञ- प्रमुख सचिव/सचिव, स्वास्थ्य - सदस्य,  
 ट- प्रमुख सचिव/सचिव, वन - सदस्य,  
 ठ- प्रमुख सचिव/सचिव, नागरिक उड्डयन - सदस्य,  
 ड- मुख्य कार्यकारी अधिकारी- सदस्य/संयोजक,  
 ढ- सम्भागीय आयुक्त, गढ़वाल और कुमायूं- सदस्य, और  
 ण- समय-समय पर ऐसे अन्य प्रमुख सचिव/ सचिव पंक्ति के अधिकारी जिनकी भूमिका को यात्रा समन्वय में महत्वपूर्ण समझा जाय, नामित किये जा सकेंगे।

उच्च स्तरीय  
समिति के कार्य  
और कर्तव्य

11. (1) उच्च स्तरीय समिति धार्मिक यात्रा के सुचारु संचालन हेतु इस अधिनियम के अधीन बोर्ड द्वारा लिये जाने वाले निर्णयों के निष्पादन के लिए विभिन्न विभागों के मध्य समन्वय स्थापित करेगी।  
 (2) समिति समय-समय पर बोर्ड द्वारा प्रत्यायोजित सभी शक्तियों का प्रयोग करेगी।

बैठक अनुसूची

12. उच्च स्तरीय समिति, देवस्थानम् और यात्रा समन्वय के लिए छः माह में न्यूनतम एक बार बैठक करेगी।

#### अध्याय चार

#### अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति

मुख्य कार्यकारी  
अधिकारी की  
नियुक्ति

13. (1) राज्य सरकार इस अधिनियम के अधीन उसे प्रदत्त कृत्यों या सौंपे गये कार्यों का निर्वहन करने और शक्तियों का प्रयोग करने के लिए एक मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त करेगी।  
 (2) मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त होने वाला व्यक्ति उच्चतम वेतनमान (super time scale) तथा अधिक के ग्रेड वेतन का अखिल भारतीय सेवा में कार्यरत अधिकारी होगा।  
 (3) राज्य सरकार मुख्य कार्यकारी अधिकारी की सहायता के लिए

समय-समय पर ऐसे अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति कर सकेगा जैसा वह आवश्यक समझे।

(4) उपधारा (2) के अधीन नियुक्त अधिकारियों की सेवा की शर्तें ऐसी होंगी जैसा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की जाय।

मुख्य कार्यकारी  
अधिकारी की  
सहायता हेतु  
अधिकारी

14. राज्य सरकार समय-समय पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी की सहायता के लिये ऐसे अधिकारी नियुक्त कर सकेगी, जैसे कि अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी, संयुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, संपदा (estate) प्रबंधक, विपणन (marketing) अधिकारी, वन विभाग से अधिकारी, वित्त अधिकारी, अभियन्ता, लोक सम्पर्क अधिकारी, विजिलेंस अधिकारी, जैसा वह उचित समझे।

मुख्य कार्यकारी  
अधिकारी की  
शक्तियां और कृत्य

15. (1) इस अधिनियम के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए अनुसूची में उल्लिखित चार धाम और सम्बद्ध मंदिरों का प्रशासन मुख्य कार्यकारी अधिकारी के सामान्य पर्यवेक्षण और नियंत्रणाधीन होगा और ऐसे पर्यवेक्षण तथा नियंत्रण में ऐसे आदेशों को पारित करने की शक्ति सम्मिलित होगी, जो यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक समझी जाय कि ऐसा देवस्थानम् उचित रूप से प्रशासनिक कार्य कर रहा है, और आय उचित रूप में उत्तराखण्ड चार धाम निधि में जमा की जा रही है तथा उचित प्रकार से प्रयुक्त की जा रही है। मुख्य कार्यकारी अधिकारी इस अधिनियम और उसके अधीन बनाये गये नियमों द्वारा उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का निर्वहन करेगा।

(2) मुख्य कार्यकारी अधिकारी देवस्थानम् क्षेत्र के विकास और गतिविधियों जैसे निवास और भोजन, चिकित्सा सेवाएं, स्वच्छता सुविधाएं, समुचित परिवहन व्यवस्थाएं, संचार सुविधाएं, प्रबंध तंत्र का आधुनिकीकरण और पुरोहित तथा स्थानीय लाभार्थियों के कल्याणार्थ तथा बिना किसी भेद-भाव के, पूजा करने वालों और तीर्थ यात्रियों तथा पर्यटकों के लाभ के लिए कार्य करेगा।

(3) मुख्य कार्यकारी अधिकारी निधि, मूल्यवान वस्तुओं, सोना, आभूषण और देवताओं में निहित सम्पत्ति के संरक्षण के लिए तथा उसके समुचित लेखों के अनुरक्षण के लिए सुरक्षित अभिरक्षा का पर्याप्त प्रबन्ध करेगा।



- (4) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, बोर्ड के अनुमोदन के पश्चात पुजारी, पद धारक, न्यासी इत्यादि के लिए पारिश्रमिक नियत करेगा।
- (5) वह राज्य में यात्रा के समुचित संचालन के हित में यदि आवश्यक हो तो विभिन्न जिला कार्यकारियों जैसे जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, जिला पंचायत, शहरी स्थानीय निकायों, और/या कोई अन्य स्थानीय निकायों को समुचित निर्देश देने के लिए सशक्त होगा।
- (6) वह तीर्थ यात्रियों की सुविधा के लिए मंदिर/देवस्थानम् के कुशल प्रबंधन के लिए यथा आनुषांगिक और आवश्यक सभी कृत्य करेगा।
- (7) मुख्य कार्यकारी अधिकारी ऐसी समस्त गतिविधियों और दायित्वों का संचालन करेगा जो बोर्ड द्वारा समय-समय पर विहित कि जाए।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी का कार्यालय

16. मुख्य कार्यकारी अधिकारी के कार्यालय का प्रबंध तंत्र सहित सभी कर्मचारियों का वेतन, भत्ते तथा अन्य पारिश्रमिक उत्तराखण्ड चार धाम निधि से भुगतान किये जायेंगे, जिसमें राज्य सरकार द्वारा पूँजीगत और गैर पूँजीगत अनुदान के माध्यम से सहयोग किया जा सकेगा।

#### अध्याय पांच

#### चारधाम देवस्थानम्/धार्मिक संस्थाओं द्वारा रजिस्ट्रों को तैयार करना और उनका अनुरक्षण

चारधाम देवस्थानम्/धार्मिक संस्थाओं द्वारा रजिस्ट्रों को तैयार करना और अनुरक्षण

17. (1) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, इस अधिनियम के अधीन आच्छादित देवस्थानम्/मंदिरों के लिए एक रजिस्टर ऐसे प्रारूप और रीति से जैसा विहित किया जाय, तैयार और अनुरक्षित करेगा, जिसमें—
  - (क) देवस्थानम् की उत्पत्ति और इतिहास, पूर्व और वर्तमान न्यासियों के नाम और वंशानुगत पुजारी या न्यासी इत्यादि के कार्यालय के उत्तराधिकार से सम्बंधित विशेष परम्परा या रीति, यदि कोई हो, का विवरण।
  - (ख) प्रशासन की योजना का विवरण और व्यय की मात्रा।
  - (ग) वेतन, पारिश्रमिक या मानदेय के रूप में सहयुक्त सभी अधिकारियों/व्यक्तियों के नाम और प्रत्येक मामलों में सेवा की प्रकृति, शर्तें और निबन्धन।

- (घ) धन, आभूषण, सोना, चाँदी, बहुमूल्य पत्थर, मूर्तियाँ, मूर्ति, प्राचीन वस्तुएं, पात्रों और बर्तनों तथा संस्था से सम्बंधित अन्य चल सम्पत्ति, उनकी मात्रा और भार, घटक वस्तुओं का विवरण और उनका वर्तमान अनुमानित मूल्य।
- (ङ) संस्था की अचल सम्पत्तियों का विवरण, अनुदान, अधिकार, सभी हक विलेख, सर्वेक्षण योजना और राज्य सरकार, मंदिर समिति, बोर्ड और मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा समय-समय पर जारी किए गये सर्कुलर, आदेश और अन्य अभिलेख।
- (च) मूर्तियों तथा अन्य छायांकन या देवस्थानम् से जुड़े हुए घटक वस्तुओं का विवरण चाहे वह पूजा के काम आते हों, या उन्हें जुलूस में ले जाया जाता हो
- (छ) प्राचीन या ऐतिहासिक अभिलेखों, लिपियों, उनके विवरण तथा हिन्दी भाषा में उसका संक्षिप्त अनुवाद तथा
- (ज) ऐसे विवरण जैसा मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो।
- (2) उपधारा (1) में उल्लिखित उपर्युक्त सूचना मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा चुने गये समुचित नाम के अधीन इंटरनेट पर प्रदर्शित करने के लिए एक वेबसाइट के प्ररूप में भी सुरक्षित रखी जायेगी:

परन्तु यह कि प्रत्येक न्यासी या उसके द्वारा विशिष्ट रूप से प्राधिकृत प्रतिनिधि या पुजारी या कोई व्यक्ति, जिसका कार-बार और गतिविधियों पर नियंत्रण हो, इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जायेगी कि संस्था द्वारा अर्जित चल और अचल दोनों सम्पत्तियों की सूची जैसा रजिस्टर में प्रदर्शित की गयी है, सही और पूर्ण है।

- (3) मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा यथा अनुमोदित रजिस्टर की एक प्रति न्यासी या पुजारी को उपलब्ध करायी जायेगी।

रजिस्ट्रों का  
वार्षिक सत्यापन

18. (1) मुख्य कार्यकारी अधिकारी अथवा उसके स्थान पर अधिकृत अधिकारी प्रतिवर्ष अथवा एक वर्ष से कम के ऐसे समय अन्तराल पर जो निर्धारित किया जाय। रजिस्टर में प्रविष्टियों की जांच करेगा और उन्हें अद्यतन करेगा। रजिस्टर में किये गये संशोधन, विलोपन या परिवर्धन को दर्शित करने वाले कथन को मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा अनुमोदित किया जायेगा।

- (2) उपधारा (1) के अधीन किये गये आदेश की एक प्रति न्यासी या पुजारी को उपलब्ध करायी जायेगी।

### अध्याय छः

#### चार धाम देवस्थानम् का प्रशासन और प्रबंधन

- न्यासी एवं हकहकूधारियों इत्यादि के अधिकार एवं कर्तव्य
19. (1) पुजारी/ न्यासी/तीर्थ पुरोहितों/पण्डों एवं सम्बंधित हकहकूधारियों को वर्तमान में प्रचलित देय दस्तूरात /अधिकार के मामले यथावत बने रहेंगे।
- (2) अधिनियम के अधीन आच्छादित चार धाम देवस्थानम् का न्यासी संस्था की परम्पराओं तथा रीतियों और विधिपूर्ण निर्देशों के अनुसरण में, अपने कार्यालय को प्रशासित करेगा।
- (3) अधिनियम की धारा 17 व 18 में तैयार रजिस्टर की जांच न्यासी/अधिकृत प्रतिनिधि करेंगे तथा गलत अथवा विलोपित प्रविष्टियाँ मुख्य कार्यकारी अधिकारी के संज्ञान में लायी जायेंगी। धारा 17 एवं 18 के अधीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा लिए गये निर्णय के विरुद्ध बोर्ड में अपील की जायेगी।
- न्यासी विवरणों को करायेगा
- लेखों, इत्यादि उपलब्ध
20. इस अधिनियम के अधीन आच्छादित चार धाम देवस्थानम् का न्यासी मुख्य कार्यकारी अधिकारी को उसके प्रभार में देवस्थानम्/मंदिर के प्रशासन से सम्बंधित ऐसे लेखों, विवरणों, रिपोर्टों अथवा उसकी निधियों, सम्पतियों या आय या उससे सम्बंधित धन या उसके विनियोग की अन्य जानकारी को ऐसे समय और ऐसे प्ररूप में मुख्य कार्यकारी अधिकारी को उपलब्ध करायेगा जैसा वह निर्देश दे या अपेक्षा करे।
- सम्पति अभिलेखों निरीक्षण
- और का
21. (1) मुख्य कार्यकारी अधिकारी या उनके द्वारा इस सम्बन्ध में प्राधिकृत कोई अन्य व्यक्ति, अपना ये समाधान करने के उद्देश्य से कि अधिनियम के उपबन्धों और उसके अधीन बनाये गये नियमों का सम्यक रूप से पालन किया गया है, चार धाम और देवस्थानम् के धार्मिक परम्पराओं और रीतियों का सम्यक सम्मान करते हुए देवस्थानम् सम्बन्धित समस्त चल और अचल सम्पति तथा सभी अभिलेखों, पत्र व्यवहारों, योजनाओं, लेखों और अन्य अभिलेखों का निरीक्षण कर सकेगा और उसके अधीन कार्य करने वाले न्यासी या पुजारी और सभी अधिकारी, उसके

प्रतिनिधि तथा कोई व्यक्ति जिसका उसके प्रशासन में सम्बंध हो, के ऐसे निरीक्षण के सम्बंध में अपेक्षित यथाआवश्यक या समुचित सभी ऐसी सहायताएं और सुविधाएं तथा निरीक्षण के लिए ऐसी कोई चल सम्पति या अभिलेख को भी प्रस्तुत करेगा, जैसा अपेक्षित हो।

- (2) उपर्युक्त निरीक्षण के प्रयोजनार्थ निरीक्षण अधिकारी अधिनियम के अधीन आच्छादित चार धाम देवस्थानम् या पूजा के लिए किसी स्थान के परिसर में किसी समुचित समय पर स्थानीय व्यवहारों, परम्पराओं या रीतियों के अध्यधीन प्रवेश कर सकेगा।
- (3) इस धारा की किसी भी बात से यह नहीं समझा जायेगा कि यह किसी व्यक्ति को उपधारा (2) में निर्दिष्ट परिसर या स्थान या उसके किसी भाग में प्रवेश के लिए अधिकृत करती है, जब तक कि ऐसा व्यक्ति हिन्दू धर्म को अथवा ऐसे धर्म को न मानता हो, जिससे वह परिसर अथवा स्थान सम्बन्धित है।

बोर्ड में कतिपय 22. सम्पतियों का निहित होना

इस अधिनियम के प्रवृत्त होने की तिथि पर, चार धाम व समस्त धार्मिक स्थल, जिन पर ये अधिनियम लागू होता हो, से सम्बंधित सभी सम्पतियां जो कि सरकार, जिला पंचायत, जिला परिषद्, नगर पालिका या किसी अन्य स्थानीय प्राधिकारी या सरकार अथवा किसी कम्पनी, सोसाइटी, संगठन, संस्था, समिति या अन्य व्यक्ति के कब्जे या पर्यवेक्षण में हो या कोई समिति, पर्यवेक्षक जो राज्य सरकार द्वारा नियुक्त हो, उस तारीख को जिस तारीख को बोर्ड गठित किया गया है या गठित समझा जाय, या उसके सदस्य इस अधिनियम के अधीन नियुक्त किये गये हैं या समझे गये हैं, को बोर्ड को अंतरित समझी जायेंगी, और ऐसी सभी सम्पतियां जो कि सरकार, स्थानीय प्राधिकारी या उपर्युक्त व्यक्ति, और ऐसे चलन के विरुद्ध सभी दायित्व, उक्त तिथि को बोर्ड में समाहित समझे जायेंगे:

परन्तु यह कि बोर्ड धार्मिक देवस्थानम् के सीमा के आस-पास स्थित भूमि जो उसके समुचित विकास के लिए उचित समझी जाय, अर्जित कर सकेगा।

अधिनियम के अधीन 23. आच्छादित चार धाम देवस्थानम् की अचल सम्पतियों का निहित होना

(1) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में कोई बात के होते हुए भी अधिनियम के अधीन आच्छादित चार धाम देवस्थानम् के प्रयोजनार्थ दी गयी अथवा दान दी गयी किसी अचल सम्पति का विनिमय, विक्रय, बन्धक या किसी अन्य रीति से अन्तरण

एवं पट्टे पर तब तक नहीं दी जायेगी जब तक बोर्ड के अनुमोदन के पश्चात् मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा इसकी स्वीकृति न प्रदान कर दी जाय और इस उपधारा के उल्लंघन में किया गया कोई अंतरण शून्य तथा अप्रभावी होगा।

- (2) ऐसी स्वीकृति के अनुसरण में मुख्य कार्यकारी अधिकारी अंतरण द्वारा प्राप्त धनराशि के प्रयोग के सम्बंध में जैसा वह आवश्यक समझे, ऐसी शर्तों और निर्देशों के अधीन उसका निवेश कर सकेगा और बंधक रखे जाने के मामले में समुचित अवधि के भीतर उसका निर्वहन करने सम्बन्धी घोषणा कर सकेगा।
- (3) इस धारा के अधीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी के आदेश की प्रति से न्यासी को सूचित किया जायेगा और उसे ऐसी रीति से प्रकाशित किया जायेगा, जैसा विहित किया जाय।
- (4) न्यासी आदेश की प्रति की प्राप्ति की तारीख से तीन माह के भीतर या कोई व्यक्ति जिसका उसमें हित हो, आदेश के प्रकाशित होने की तारीख से तीन माह के भीतर ऐसे प्राधिकारी को ऐसी रीति से जैसा बोर्ड द्वारा विहित किया जाय अपील कर सकेगा जो यथास्थिति आदेश के गुणावगुण के आधार पर निर्णय करेगा।

अभिलेखों के 24. रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (अधिनियम संख्या 16 वर्ष 1908) में रजिस्ट्रीकरण पर प्रतिबंध के होते हुए भी रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी इस अधिनियम के अधीन आच्छादित चार धाम देवस्थानम् से सम्बंधित अचल सम्पत्ति के सहबद्धता से सम्बंधित किसी विलेख का तब तक रजिस्ट्रेशन नहीं करेगा जब तक विलेख के साथ धारा 23 के अधीन ऐसे सहबद्धता की स्वीकृति देने वाले आदेश की प्रमाणित प्रति उपलब्ध नहीं करा दी जाती है।

अविधिक रूप से 25. यदि मुख्य कार्यकारी अधिकारी के संज्ञान में यह बात आती है, कि समाहित अचल सम्पत्ति की वसूली इस अधिनियम के अधीन आच्छादित किसी चार धाम देवस्थानम् से सम्बंधित अचल सम्पत्ति की सहबद्धता धारा 23 के विरुद्ध है तो वह बोर्ड को मामला संदर्भित करेगा और ऐसी सम्पत्ति के प्रत्यावर्तन हेतु विधिक कार्यवाही प्रारम्भ करेगा।

चार धाम 26. (1) इस अधिनियम के अधीन आच्छादित चार धाम देवस्थानम् और देवस्थानम् से सम्बंधित भूमि और चार धाम की अचल सम्पत्ति से सम्बंधित किसी भूमि या परिसर के

परिसरों अतिक्रमण हटाना	से को	<p>अनधिकृत कब्जे के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश सार्वजनिक भू-गृहादि (अप्राधिकृत अध्यासियों की बेदखली) अधिनियम, 1972 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 22, वर्ष 1972) (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त) या अन्य कोई अधिनियम जिसमें इस प्रकार के उपबंध हों, अधिनियम के अर्थान्वयन में यह समझा जायेगा कि वह राज्य सरकार की सम्पत्ति थी।</p> <p>(2) उपर्युक्त उल्लिखित अधिनियम के अधीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी भूमि/परिसर के अतिक्रमण को हटाने के लिए उस अधिनियम के उपबंधों के अनुसरण में कार्यवाही करेगा।</p>
चार देवस्थानम् संरक्षण विकास के कार्य करने की शक्तियां	धाम के और लिए की	<p>27. (1) चारधाम देवस्थानम् के संरक्षण व विकास के लिये बोर्ड राज्य सरकार को यह अनुशंसा करेगा कि ऐसे क्षेत्र जो देवस्थानम् के आस-पास है को देवस्थानम् क्षेत्र अधिसूचित किया जाय। ऐसे अधिसूचित क्षेत्रों में बोर्ड को राज्य सरकार के अनुमोदन से स्थान व भवन के समुचित अनुरक्षण को नियंत्रण करने का व कर वसूलने का अधिकार होगा।</p> <p>(2) राज्य सरकार के निर्देशों के अधीन रहते हुए बोर्ड पारस्परिक समझौतों, क्रय, दान, हस्तान्तरण, पट्टे, किराये द्वारा या अन्यथा किसी भवन या भूमि को अर्जित कर सकेगा। इसके अतिरिक्त नियमों के आलोक में तत्समय प्रवृत्त विधि के अनुसार भवन, भूखण्ड का अर्जन कर सकेगा।</p> <p>(3) जहां मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पास यह विश्वास करने का कारण है कि—</p> <p>(क) इस अधिनियम के अधीन आच्छादित चार धाम देवस्थानम् से सम्बंधित मंदिरों के समीपवर्ती क्षेत्रों की कोई सम्पत्ति किसी न्यासी या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा दुर्व्ययन, क्षतिग्रस्त या अनुचित रूप से अन्यसंक्रांत किये जाने का खतरा है, या</p> <p>(ख) न्यासी या ऐसा कोई व्यक्ति धमकी देता है या सम्पत्ति को हटाने या समाप्त करने का आशय रखता है तो मुख्य कार्यकारी अधिकारी ऐसी सम्पत्ति के दुर्व्ययन क्षतिग्रस्त, सहयुक्तता, विक्रय, हटाने या वितरण को रोकने और स्थगित करने के प्रयोजनार्थ ऐसा आदेश जैसा वह ठीक समझे, कर सकेगा।</p>

## अध्याय सात

## न्यासी, पुजारी, रावल इत्यादि की नियुक्ति, सहबद्धता और निर्योग्यता

पुजारी इत्यादि की नियुक्ति और सहबद्धता करने के लिए प्रक्रिया तथा उनके निर्बन्धन

28. (1) इस अधिनियम के अधीन आच्छादित चार धाम देवस्थानम् के लिए पुजारी, रावल व न्यासी और अन्य व्यक्तियों को यथास्थिति नियुक्त करने में मुख्य कार्यकारी अधिकारी बोर्ड के अनुमोदन से धार्मिक सम्प्रदाय, परम्पराओं और वंशानुगत अधिकारों का सम्यक ध्यान रखेगा।
- (2) न्यासी, पुजारी, रावल इत्यादि की नियुक्ति के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित करने के लिए प्रक्रिया, पूर्व पद का सत्यापन और अन्य मामलों को यथास्थिति विहित किया जायेगा।

न्यासी, पुजारी, इत्यादि को हटाया जाना

29. (1) मुख्य कार्यकारी अधिकारी अधिनियम के अधीन आच्छादित किसी चार धाम देवस्थानम् के न्यासी, पुजारी इत्यादि को निम्नलिखित आधारों पर निलंबित, हटा या बर्खास्त कर सकेगा:—
- (क) बजट, लेखा रिपोर्ट और विवरणों के बोर्ड या मुख्य कार्यकारी अधिकारी या इस सम्बन्ध में अन्य किसी प्राधिकृत अधिकारी को प्रस्तुतिकरण में लगातार चूक होने पर या
- (ख) इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये उपबंधों के अधीन यथास्थिति मुख्य कार्यकारी अधिकारी या बोर्ड या राज्य सरकार द्वारा जारी कोई निर्देश या आदेश का जानबूझकर उल्लंघन करने पर, या
- (ग) इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये नियमों के उल्लंघन में किसी धार्मिक संस्था, मंदिर के सम्बन्ध में किसी अवचार या अप्रकरण, न्यास भंग या कर्तव्य के प्रति उपेक्षा, दुर्विनियोग और कपटकृत्य, बेईमानीपूर्ण कृत्य, या किसी सम्पत्ति का अन्य संकामण
- (घ) कोई पुजारी, न्यासी इत्यादि मंदिर के चारों ओर शराब या स्वापक औषधि या मनः प्रभावी पदार्थ के असर में पाया जाता है, और
- (ङ.) मस्तिष्क की विकृत-चित्तता अथवा अन्य मानसिक या शारीरिक दोष या दुर्बलता, संचारी रोग के कारण न्यासी अथवा पुजारी आदि के कृत्यों का निर्वहन करने हेतु अनुपयुक्त हो:

परन्तु यह कि कोई न्यासी, पुजारी इत्यादि इस धारा के अधीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा तब तक पद से हटाया या बर्खास्त नहीं किया जायेगा जब तक कि उसे सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर न दे दिया जाय।

(2) कोई पुजारी या न्यासी, चाहे वंशानुगत अथवा गैर-वंशानुगत हो, जिसे उपधारा (1) के अधीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा निलंबित, हटाया या बर्खास्त किया गया है, ऐसे निलंबन, हटाने या बर्खास्त किये जाने के आदेश के प्राप्ति या सूचित होने के तारीख से तीस दिन के भीतर ऐसे प्राधिकारी के समक्ष इस प्रकार से अपील कर सकेगा जैसा बोर्ड द्वारा विहित किया जाय।

(3) किसी वंशानुगत पुजारी अथवा न्यासी जो इस प्रकार निलंबित, हटाया या बर्खास्त किया गया है, को ऐसा भरण-पोषण दिया जा सकेगा जैसा मुख्य कार्यकारी अधिकारी व्यक्ति तथा संस्था की वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए नियत करे।

न्यासी, रावल और पुजारी इत्यादि की नियोगताएं

(1) कोई व्यक्ति यथास्थिति न्यासी, पुजारी या रावल इत्यादि नियुक्त होने या बने रहने के लिए नियोग्य हो जायेगा—

(क) यदि वह अनुन्मोचित दिवालिया हो।

(ख) यदि वह विकृतचित्त का हो और विद्यमान विधि के अंतर्गत किसी सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा करने की घोषणा विद्यमान हो।

(ग) यदि वह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी सम्पत्ति के विद्यमान पट्टे या संविदा या संस्था के लिए किये जाने वाले किसी कार्य में हितबद्ध है या विन्यास या जिस संस्था के लिए वह नियुक्त है ऐसी संस्था का उस पर पांच सौ रूपये से अधिक की धनराशि देय हो,

(घ) यदि वह जिस संस्था के लिए वह नियुक्त किया गया है उसके विरुद्ध विधिक व्यवसायी के रूप में उपस्थित होता है,

(ङ) यदि वह नैतिक अधमता में संलग्न किसी अपराध के लिए दण्डित न्यायालय द्वारा दण्डित हो और ऐसे दण्डादेश को प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा पलटा न गया हो,

(च) यदि वह जिस संस्था के लिए कार्य कर रहा हो उसके विरुद्ध कृत्य करे,



- (छ) यदि वह शराब, औषधि, नारकोटिक या नशीली वस्तुओं का प्रयोग करने का अभ्यस्त हो गया हो,
- (ज) गैर वंशानुगत पुजारी या न्यासी या पुजारी या अन्य सम्बंधित व्यक्ति के मामले में यदि उसने 21 वर्ष की आयु पूर्ण न कर ली हो,
- (झ) यदि उसने हिन्दू धर्म त्याग दिया हो
- (ट) रावल के मामले में यदि उसने ब्रह्मचर्य जीवन छोड़ दिया है या अन्यथा उसका चरित्र कुलषित होने की पुष्टि हो गयी है।
- (2) यदि कोई न्यासी अपनी नियुक्ति के 30 दिन के भीतर अपना कार्यभार ग्रहण करने में असफल रहता है तो उसका पद समाप्त हो जायेगा।

वंशानुगत पुजारी, न्यासी, रावल या पुजारी के पद की रिक्ति की पूर्ति

31. (1) चार धाम देवस्थानम् में यथास्थिति वंशानुगत पुजारी या न्यासी की जब कभी स्थायी रिक्ति हो तो उत्तराधिकारी के क्रम में अगला मुख्य उत्तराधिकारी उक्त पद के लिए पात्र होगा और रावल की नियुक्ति में पारम्परिक रिवाजों का अनुसरण किया जायेगा।
- (2) श्री बद्रीनाथ व केदारनाथ मंदिर के रावल व नायब रावल की नियुक्ति प्रचलित परम्पराओं के अनुसार ही की जायेगी।
- (3) जब ऐसा पद वंशानुगत पुजारी या न्यासी इत्यादि के निलंबन या बर्खास्तगी के कारण स्थाई रूप से रिक्त हो या धारा 30 के उपबंधों के अधीन वह पद धारण करने से प्रविरत हो जाता है, तो मुख्य कार्यकारी अधिकारी या बोर्ड द्वारा यथास्थिति न्यासी, पुजारी के पद के दायित्वों के निर्वहन करने के लिए उत्तराधिकार के क्रम में अगले व्यक्ति को नियुक्त किया जायेगा जब तक उसकी निर्योग्यता समाप्त न हो जाय :

परन्तु यह कि यदि ऐसा नियुक्त व्यक्ति अवयस्क हो तो वह ऐसे अधिकारी के पर्यवेक्षण के अधीन अपने कार्यों एवं कर्तव्यों का निर्वहन करेगा जैसा मुख्य कार्यकारी अधिकारी इस प्रयोजन हेतु नियुक्त करे।

- (4) यदि ऐसे पद में स्थायी या अस्थायी रिक्ति हो और पद के लिए

उत्तराधिकार के अधिकार से सम्बंधित कोई विवाद हो या ऐसी रिक्ति तुरन्त नहीं भरी जा सकती हो या यदि ऐसे कार्य करने के लिए हकदार व्यक्ति के सम्बंध में कोई विवाद हो तो मुख्य कार्यकारी अधिकारी चार धाम देवस्थानम् के यथास्थिति पुजारी या न्यासी के पद के दायित्वों का निर्वहन करने के लिए उसी मंदिर में परम्परागत रूप से पूजा करने वाले किसी व्यक्ति को नियुक्त कर सकेगा जब तक कि यथास्थिति वंशानुगत पुजारी या न्यासी की निर्योग्यता समाप्त नहीं हो जाती या अन्य वंशानुगत पुजारी या न्यासी ऐसे अल्प समय हेतु पद को धारण नहीं करता जैसा मुख्य कार्यकारी अधिकारी निर्देश दे ।

स्पष्टीकरण— इस उपधारा के अधीन किसी नियुक्ति में मुख्य कार्यकारी अधिकारी पुजारी/न्यासी के परिवार के सदस्यों के उत्तराधिकार के दावे पर यदि कोई हो, विचार करेगा।

(5) इस धारा के अधीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी के आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति आदेश के संसूचित होने के तीस दिन के भीतर बोर्ड को अपील कर सकेगा।

### अध्याय आठ

#### वित्त, चार धाम निधि और बजट एवं लेखों का अनुरक्षण

वित्त, चार धाम 32. निधि का गठन, बजट, लेखों और अवशेषों का भू-राजस्व के बकाये के रूप में वसूली योग्य धनराशि

(1) उत्तराखण्ड चार धाम निधि के नाम से एक निधि का गठन किया जायेगा जो कि बोर्ड के अनुमोदन पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा प्रशासित किया जायेगा और इस अधिनियम में उपबंधित के सिवाय इसका गठन निम्नलिखित से मिलाकर किया जायेगा—

क. इस अधिनियम के अधीन आच्छादित चार धाम देवस्थानम् को दान, अनुदान, ऋण, वसूलियां, किराया, बिक्री, पट्टा, अनुज्ञा शुल्क, गुप्त दान, उपकर, शुल्क, बैंक जमा से ब्याज और ऐसे देवस्थानम् या अधिष्ठान की कोई अन्य आय द्वारा उपार्जित आय या कमाई;

ख. मंदिर की चल और अचल सम्पत्ति से प्राप्त कोई आय;

ग. इस अधिनियम के प्रारम्भ पर बोर्ड के खाते में अवशेष धनराशि तथा राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान ;

- घ. राज्य सरकार या केन्द्र सरकार द्वारा बोर्ड को आवंटित वार्षिक बजट;
- ङ. धार्मिक देवस्थानम् इत्यादि द्वारा वार्षिक अंशदान;
- च. इस अधिनियम के अधीन अधिरोपित समस्त अर्थदण्ड और शास्तियाँ;
- छ. जनता, स्थानीय निकायों या संस्थाओं द्वारा किया गया कोई अन्य दान या अंशदान,
- (2) ऐसी समस्त निधियां राष्ट्रीयकृत बैंक या अन्य, बैंक जो कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुमोदित हों, में बोर्ड के खातों में जमा की जायेगी और मुख्य कार्यकारी अधिकारी या ऐसे अधिकारी द्वारा अनुरक्षित की जायेंगी, जैसा बोर्ड द्वारा इस हेतु निर्देशित किया जाय। धार्मिक देवस्थानम् और अन्य धार्मिक संस्थाओं की सभी आय इस निधि में जमा की जायेगी।
- (3) मुख्य कार्यकारी अधिकारी या बोर्ड द्वारा इस हेतु प्राधिकृत कोई अधिकारी निधि का समुचित लेखा अनुरक्षित करेगा और बोर्ड द्वारा अनुमोदित संपरीक्षा अभिकरण या चार्टर्ड एकाउण्टेंट द्वारा वार्षिक रूप से सम्परीक्षित किया जायेगा तथा सामान्य जनता के लिए प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में इसका तुलन पत्र प्रकाशित किया जायेगा।
- (4) बोर्ड का लेखा महालेखाकार उत्तराखण्ड या उसके द्वारा उसकी ओर से प्राधिकृत अधिकारी द्वारा संपरीक्षित किया जायेगा।
- (5) मुख्य कार्यकारी अधिकारी बोर्ड से स्वीकृति प्राप्त करके इस अधिनियम के अधीन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए व्यय कर सकेगा और इस निधि से उसके सदस्यों को पारिश्रमिक तथा कर्मचारियों को परिलब्धियों का भुगतान कर सकेगा।
- (6) बोर्ड किसी विशेष देवस्थानम् को बजट आवंटित करते समय उसकी वार्षिक आय को ध्यान में रखेगा जिससे कि ऐसे देवस्थानम् द्वारा संकलित की गयी आय को किसी अन्य देवस्थानम् को न दिया जा सके।
- (7) बोर्ड, भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 के अन्तर्गत दान ग्रहण करने, अधिनियम में उल्लिखित कार्यों के क्रियान्वयन एवं

जनहित के अन्य कार्यों को करने के लिये एक न्यास का गठन करेगा।

मंदिर बकाया की 33. इस अधिनियम के अधीन अधिरोपित अर्थ दण्ड/ शास्तियों/ देयों वसूली सहित मंदिर को देय सभी धनराशियां वसूली की अन्य रीतियों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना इस सम्बंध में मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा की गयी अध्यपेक्षा पर उत्तर प्रदेश लोक धन (देयों की वसूली) अधिनियम, 1965 (उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त) के अनुसार भू-राजस्व के बकाये की भांति की जायेगी।

हुण्डी का संस्थापन 34. (1) बोर्ड मंदिर में आये तीर्थ यात्रियों और दानदाताओं द्वारा चढ़ावे के लिए मंदिर के ऐसे स्थान अथवा स्थानों पर जैसा वह ठीक समझे, एक या अधिक पात्र (जिसे यहां आगे हुण्डी कहा गया है) स्थापित कर सकेगा।

(2) हुण्डी ऐसे व्यक्ति द्वारा और ऐसी रीति से संचालित की जायेगी जैसा बोर्ड द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया जाय।

(3) किसी हुण्डी में रखे गये चढ़ावे का ऐसा भाग जैसा बोर्ड द्वारा समय-समय पर निर्देश दिया जाय, उत्तराखण्ड चार धाम निधि में जमा किया जायेगा।

(4) इस सम्बंध में मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति के सिवाय कोई व्यक्ति मंदिर में स्थापित हुण्डी के न तो निकट जायेगा और न ही किसी रीति से हस्तक्षेप करेगा:  
परन्तु यह कि किसी स्थान पर सदभावना के उद्देश्य से किसी हुण्डी के समीप जाने के लिये ऐसी अधिकारिता की आवश्यकता नहीं होगी।

(5) किसी विधि, परम्परा, रुढ़ियों या अनुबंधों या अधिकार के अभिलेखों में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी कोई पुजारी/रावल इत्यादि इस अधिनियम के प्रारम्भ के पश्चात स्थापित किसी हुण्डी में रखे गये चढ़ावे के किसी अंश का हकदार नहीं होगा।

बोर्ड द्वारा बजट 35. (1) मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रत्येक देवस्थानम् के लिये, जो इस की तैयारी और उसका प्रस्तुतिकरण अधिनियम से आच्छादित हो, पुजारी या न्यासी से परामर्श कर बजट तैयार करेगा।

(2) ऐसे प्रत्येक बजट में—

- (क) तत्समग्र प्रवृत्त व्यय की मात्रा और पारम्परिक व्यय;
- (ख) संस्था पर समस्त बाध्यकारी दायित्वों के सम्यक निर्वहन;
- (ग) धार्मिक, शैक्षिक और पूर्त प्रयोजनों, विकासशील गतिविधियों, तीर्थ यात्रियों के लिए सुविधाएं, विद्यमान सुविधाओं का अनुरक्षण और लोक यातायात तथा स्वच्छता प्रणाली पर व्यय;
- (घ) धार्मिक निर्देशों एवं गतिविधियों के प्रोत्साहन एवं फैलाव के लिये, ऐसी संस्थाओं के इतिहास जो उनकी संस्कृति से संगत हो के प्रचार और ऐसे देवस्थानम् इत्यादि के चारों ओर के पर्यावरण के सुधार के लिए व्यय;
- (ङ.) भवनों, मंदिरों की मरम्मत, अनुरक्षण, नवीनीकरण तथा चार धाम देवस्थानम् के परिसम्पत्तियों एवं सम्पत्तियों के संरक्षण पर व्यय;
- (च) वेतन, बकायों, मजदूरी, पारिश्रमिक और वार्षिकी इत्यादि के अन्य भुगतान के लिए व्यय, हेतु समुचित उपबंध किये जायेंगे।
- (3) बजट को बोर्ड के समक्ष उसके अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जायेगा। मुख्य कार्यकारी अधिकारी बजट को बोर्ड के अनुमोदन हेतु अंतिम रूप से प्रस्तुत करने से पूर्व इसमें ऐसे संशोधन, निरसन या विस्तार कर सकेगा जैसा वह ठीक समझे।

लेखों का अनुरक्षण और अंकेक्षण 36.

प्रत्येक देवस्थानम्/मंदिर हेतु प्राप्तियों एवं वितरणों का लेखा नियमित रूप से रखा जायेगा। यह लेखा, प्रत्येक कैलेण्डर वर्ष हेतु पृथक रूप से ऐसा प्रारूप में और ऐसा विवरणों में जैसा मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा विहित किया जाय, रखा जायेगा, और मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा यथानिर्णीत समय-समय पर सम्परीक्षा के अध्याधीन होगा।

### अध्याय नौ

#### अपराध तथा शास्तियां

न्यासी इत्यादि द्वारा इस अधिनियम के उपबंधों का अनुपालन न करने के लिए शास्ति 37.

इस अधिनियम के अधीन आच्छादित चार धाम देवस्थानम् के प्रशासन से सम्बंधित यदि कोई न्यासी, अधिकारी, पुजारी, प्रतिनिधि, या कोई अन्य सम्बंधित व्यक्ति —

- (क) इस अधिनियम या तदधीन बने नियमों, आदेशों या निर्देशों के उपबंधों का अनुपालन करने से इन्कार करता है या जानबूझकर असफल हो जाता है या अपने कर्तव्यों के निष्पादन में उपेक्षा

बरतता है या इस अधिनियम के अधीन की जाने वाली किसी कार्यवाही में व्यवधान उत्पन्न करता है; या

(ख) इस अधिनियम या तदधीन बनाये गये नियमों के अन्तर्गत मांगी गयी किसी रिपोर्ट, विवरण, लेखों या अन्य सूचनाओं को उपलब्ध कराने से इन्कार करता है या जानबूझकर असफल हो जाता है, या

(ग) धार्मिक देवस्थानम् में और उसके आसपास शांति भंग करे या किसी तीर्थयात्री/यात्री के साथ जानबूझकर दुर्व्यवहार या गाली गलौज करते हैं, तो वह सादा कारावास से जिसकी अवधि तीन मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से जो दस हजार रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से दण्डित किया जायेगा।

धार्मिक संस्थाओं से सम्बंधित सम्पत्ति को त्रुटिपूर्ण रूप से रोके रखने तथा किसी अन्य स्थान पर पारम्परिक मूर्ति का प्रतिरूप स्थापित करने के लिए शास्त्र

38. (1) कोई व्यक्ति जो—

(क) किसी ऐसी संस्था से जिसका प्रबन्धन इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन विनियमित किया जाय, सम्बंधित कब्जा, अभिरक्षा या नियंत्रण में रखते हुये किसी सम्पत्ति, अभिलेख या लेखे की पुस्तिका मुख्य कार्यकारी अधिकारी या उसके द्वारा सम्यक रूप से प्राधिकृत किसी व्यक्ति से ऐसी सम्पत्ति, दस्तावेज या लेखा पुस्तकों पर सदोषपूर्वक या अवैध रूप से कब्जा बनाये रखता है, या मुख्य कार्यकारी अधिकारी या ऐसे अधिकारी द्वारा मांगे जाने पर ऐसा लेखा उपलब्ध नहीं कराता है,

(ख) ऐसी संस्था की ऐसी सम्पत्ति, अभिलेख या लेखों की पुस्तिकाओं पर सदोषपूर्वक कब्जा प्राप्त करेगा या सदोषपूर्वक ऐसा कब्जा बनाये रखेगा या जानबूझकर उसे रोके रखेगा या इस सम्बंध में मुख्य कार्यकारी अधिकारी या उसके किसी प्राधिकृत व्यक्ति को देने में असफल रहेगा, या

(ग) ऐसी संस्था की सम्पत्ति, अभिलेखों या लेखा पुस्तिकाओं को सदोषपूर्वक रोके रखेगा, नष्ट करेगा या फाड़ेगा:

तो वह सादा कारावास से जिसकी अवधि तीन वर्ष तक हो सकेगी, या जुर्माने से जो रुपये पच्चीस हजार तक हो सकेगा या दोनों से दण्डित किया जायेगा।

अपराध का असंज्ञेय और जमानतीय होना 39.

इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय प्रत्येक अपराध असंज्ञेय और जमानतीय होगा।

- अपराधों का संज्ञान 40. इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय प्रत्येक अपराध प्रथम वर्ग के न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय होगा। धारा 37 और 38 में उल्लिखित अपराध के बारे में कोई न्यायालय तब तक संज्ञान नहीं ले सकेगा जब तक कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी या इस सम्बंध में उसके द्वारा विशिष्ट रूप से प्राधिकृत कोई व्यक्ति लिखित रूप में परिवाद संस्थित न करे।

### अध्याय दस

#### विविध

- सद्भावपूर्वक की 41. इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये किसी नियम के अधीन सद्भावपूर्वक की गयी या की जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही राज्य सरकार के किसी अधिकारी या इस अधिनियम के अधीन किन्ही शक्तियों का प्रयोग करने वाले या किन्हीं कृत्यों का निर्वहन करने वाले या कर्तव्यों का अनुपालन करने वाले किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध नहीं होगी।
- कठिनाईयों को दूर 42. (1) यदि इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो राज्य सरकार ऐसा आदेश द्वारा जो इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हो, उस कठिनाई को दूर कर सकेगी:  
परन्तु ऐसा कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारम्भ से दो वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जायेगा।  
(2) इस धारा के अधीन निकाला गया प्रत्येक आदेश निकाले जाने के पश्चात् यथाशीघ्र राज्य विधान सभा के समक्ष रखा जायेगा।
- बोर्ड हिन्दू 43. बोर्ड, किसी अन्य धर्म से सम्बंधित किसी देवस्थानम् या धार्मिक देवस्थानम् इत्यादि संस्था के विकास के लिए राज्य सरकार या केन्द्र सरकार या किसी अन्य स्रोतों जैसे दान, निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व निधि, किराया, सर्विस चार्ज इत्यादि से धनराशि प्राप्त कर सकेगा।  
के अतिरिक्त देवस्थानम् इत्यादियों के विकास के लिए निधियां प्राप्त कर सकेगा
- अनुसूची में 44. राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा अनुसूची में संशोधन कर ऐसे अन्य हिन्दू धार्मिक देवस्थानम् और अन्य मन्दिरों को भी सम्मिलित कर सकेगी, जैसा वह आवश्यक समझे।

- कतिपय धार्मिक 45. यह अधिनियम, वक्फ अधिनियम, 1995 द्वारा शासित वक्फ और सिख संस्थाओं पर अधिनियम का लागू न होना
- नियम एवं विनियम 46. (1) राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के बनाने की शक्ति उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगा।  
(2) इस धारा के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम बनाये जाने के पश्चात् यथाशीघ्र राज्य की विधान सभा के समक्ष रखा जायेगा।  
(3) बोर्ड अपने कार्यों के संचालन हेतु विनियम बना सकेगा।
- क्षेत्राधिकार का प्रतिबंध 47. इस अधिनियम में स्पष्ट रूप से उपबन्धित के सिवाय इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन उनके द्वारा किये गये किसी कृत्य या किये जाने के लिये आशयित कृत्यों के लिये राज्य सरकार या बोर्ड या मुख्य कार्यकारी अधिकारी या अन्य अधिकारी के विरुद्ध किसी सिविल न्यायालय में कोई वाद या कार्यवाही संस्थित नहीं की जायेगी।
- अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव 48. इस अधिनियम के उपबन्ध तत्समय प्रवृत्त किसी अधिनियम में किसी बात के असंगत होते हुए भी या किसी विधि के कारण प्रभावी किसी प्रबन्धन की स्कीम, डिक्री, रिवाज, प्रथा या किसी लिखत के होते हुए भी अधिभावी होंगे।
- निरसन और व्यावृत्तियां 49. (1) संयुक्त प्रान्त श्री बद्रीनाथ मंदिर अधिनियम, 1939 (अधिनियम संख्या 16 वर्ष 1939) और उत्तर प्रदेश श्री बद्रीनाथ मंदिर (संशोधन) अधिनियम, 1964 (अधिनियम संख्या 8 वर्ष 1964) एतद्वारा निरसित किए जाते हैं।  
(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी—  
(क) निरसित अधिनियम के अधीन किसी प्राधिकारी या किसी अधिकारी द्वारा सभी नियम, उपविधियां, बनाये गये विनियम, अधिसूचना या जारी प्रमाण पत्र, पारित आदेश, किए गये निर्णय, की गयी कार्रवाई और अन्य बातें जहां तक वह इस अधिनियम के असंगत न हों, इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबन्धों के अधीन समुचित प्राधिकारी या अधिकारी द्वारा जारी, पारित या किये गये



समझे जायेंगे और तदनुसार जब तक अधिनियम के उपबंधों के अधीन उन्हें संशोधित, निरसित या निलंबित न किया जाय, प्रभावी रहेंगे।

(ख) इस अधिनियम के प्रारम्भ पर निरसित अधिनियम के उपबंधों के अधीन सरकार, किसी अधिकारी या प्राधिकारी के समक्ष समस्त लंबित कार्यवाहियां जहां तक वे इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसरण में असंगत न हों, इस अधिनियम के अधीन समुचित प्राधिकारी द्वारा नियमित रूप से निस्तारित किये जायेंगे।

अनुसूची

(क)	
1	गढ़वाल में स्थित श्री बद्रीनाथ मंदिर और इसके परिसर के अन्य समस्त मंदिर सहित जहां पूजा के लिए पट्टी तल्ला पेन खण्डा में ग्राम बद्रीनाथ जिला चमोली, जिसमें श्री लक्ष्मी जी मंदिर, गरूड मूर्ति, हनुमान जी, घंटाकरण और सभी अन्य छोटी मूर्तियां, सम्मिलित हैं,
2	बद्रीनाथ में श्री शंकराचार्य मंदिर,
3	बद्रीनाथ में श्री आदि केदारेश्वर मंदिर,
4	बद्रीनाथ में श्री बल्लभाचार्य मंदिर,
5	बद्रीनाथ में स्थित श्री तप्त कुण्ड,
6	बद्रीनाथ में ब्रह्म कपाल, बरानेत (की शिला) और परिक्रमा (परिसर),
7	बद्रीनाथ में माता मूरी मंदिर,
8	पाण्डुकेश्वर में योग बद्री मंदिर,
9	सुब्बाइन में भविष्य बद्री,
10	जोशीमठ में नरसिंह मंदिर,
11	जोशीमठ में वासुदेव मंदिर,
12	जोशीमठ में श्री दुर्गा मंदिर,
13	जोशीमठ में राज राजेश्वरी मंदिर,
14	ज्योतेश्वर में महादेव मंदिर,
15	ज्योतेश्वर में भक्त वात्सल्य मंदिर,
16	विष्णु प्रयाग में नारायण मंदिर,
17	चेन में सीता देवी मंदिर,
18	अभिमठ में वृद्ध बद्री मंदिर,
19	उर्गाम में ध्यान बद्री मंदिर,
20	पाखी में श्री नरसिंह मंदिर,
21	दारमी में श्री नरसिंह मंदिर,
22	नन्द प्रयाग में श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर,
23	कुलसारी में श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर,
24	द्वाराहाट, अल्मोडा में श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर,
25	गुडसिर, अल्मोडा में श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर,
26	बयाला, अल्मोडा में श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर,
27	बद्रीनाथ पुरी में पंच शिला,
28	बद्रीनाथ पुरी में पंच धारा,
29	श्री बद्रीनाथ मंदिर, धर्मशाला सहित परिक्रमा,
30	वसुधारा झरना के नीचे धर्मशिला और वसुधारा,

(ख)	
1	गढवाल में श्री केदारनाथ मंदिर और सम्बंधित सहित अधीनस्थ देवस्थानम् इत्यादि
2	केदारनाथ में उडक कुण्ड,
3	श्री केदारनाथ मंदिर की परिसीमा पर लघु मंदिरें,
4	गुप्तकाशी में श्री विश्वनाथ जी मंदिर,
5	गुप्तकाशी में श्री विश्वनाथ जी मंदिर की परिसीमा पर लघु मंदिरें,
6	ऊखीमठ में श्री उषा मंदिर,
7	ऊखीमठ में श्री बाराही मंदिर,
8	मदमहेश्वर में श्री मदमहेश्वर मंदिर,
9	कालीमठ में श्री महाकाली मंदिर,
10	कालीमठ में श्री महालक्ष्मी मंदिर,
11	कालीमठ में श्री महा सरस्वती मंदिर,
12	त्रिजुगी नारायण में श्री नारायण मंदिर,
13	त्रिजुगी नारायण में श्री नारायण मंदिर की परिसीमा पर लघु मंदिरें,
14	गौरीकुण्ड में श्री गौरी माई मंदिर,
15	तुंगनाथ में श्री तुंगनाथ मंदिर,
16	मक्कू में तुंगनाथ मंदिर,
17	काली शिला में श्री काली शिला मंदिर,
(ग)	यमुना जी मंदिर, शनि देव, कुण्डा शिला इत्यादि और यमुनोत्री देवस्थानम् में और उसके आसपास समस्त अन्य लघु मंदिर जिसमें ग्राम खिरसाली में शनि महाराज मंदिर भी सम्मिलित हैं,
(घ)	गंगोत्री में मां गंगा मंदिर और गंगोत्री देवस्थानम् में और उसके आसपास समस्त अन्य लघु मंदिर जिसमें गौमुख में "उद्धगम स्थल" भी सम्मिलित है,
(ङ.)	
1	टिहरी गढवाल में चंद्रबदनी मंदिर,
2	देव प्रयाग, टिहरी गढवाल में रघुनाथ मंदिर,
3	टिहरी गढवाल, सेम मुखेम, नागराजा मंदिर,
4	चौरास श्रीनगर (पौडी गढवाल) में श्री राज राजेश्वरी देवी मंदिर।

आज्ञा से,

प्रेम सिंह खिमाल,  
सचिव।

## उद्देश्य व कारणों का कथन

उत्तराखण्ड राज्य में वर्तमान में श्री बद्रीनाथ तथा श्री केदारनाथ मंदिर की व्यवस्थाओं के लिए उत्तर प्रदेश श्री बद्रीनाथ – श्री केदारनाथ अधिनियम, 1939 प्रवृत्त है। इस अधिनियम के कई उपबंध वर्तमान परिप्रेक्ष्य में प्रासंगिक नहीं रह गये हैं। इसके दृष्टिगत उत्तराखण्ड चार धाम देवस्थानम् प्रबन्धन विधेयक, 2019 प्रस्तावित किया जा रहा है।

2- इसके अतिरिक्त गंगोत्री, यमुनोत्री तथा अन्य प्रसिद्ध मंदिरों का भी कायाकल्प किया जाना अति आवश्यक है। इस हेतु जम्मू कश्मीर में स्थापित श्री वैष्णो देवी माता मंदिर, साईं बाबा, जगन्नाथ और सोमनाथ मंदिरों की तरह उत्तराखण्ड में स्थित मंदिरों और देवस्थानम् के लिए भी विधिक उपबंध किये जाने आवश्यक है।

3- इस प्रकार यह विधेयक जम्मू कश्मीर में स्थापित श्री वैष्णो देवी माता मंदिर, साईं बाबा, जगन्नाथ और सोमनाथ मंदिरों की तरह राज्य में अवस्थित श्री बद्रीनाथ, श्री केदारनाथ मंदिर, गंगोत्री, यमुनोत्री तथा अन्य प्रसिद्ध मंदिरों के कायाकल्प हेतु मील का पत्थर साबित होगी।

4- प्रस्तावित विधेयक उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति करता है।

(सतपाल महाराज)  
मंत्री।

No. 17/XXXVI(3)/2020/83(1)/2019  
Dated Dehradun, January 15, 2020

NOTIFICATION

Miscellaneous

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of '**The Uttarakhand Char Dham Devasthanam Management Act, 2019**' (Act No. 06 of 2020).

As passed by the Uttarakhand Legislative Assembly and assented to by the Governor on 13 January, 2020.

**THE UTTARAKHAND CHAR DHAM DEVASTHANAM MANAGEMENT ACT, 2019**

(Uttarakhand Act No. 06 of 2020)

**INDEX**

Sections	Content
	<b>Chapter I Preliminary</b>
1.	Short title, extent and commencement
2.	Definitions
	<b>CHAPTER II</b>
	<b>CONSTITUTION, FUNCTIONS AND POWERS OF BOARD</b>
3	Constitution of Char Dham Devasthanam Board
4	Powers and Duties of the Board
5	Terms & Conditions of Service of Members
6	Disqualification and Liabilities of Nominated Members
7	Vacancy of Nominated Member on disqualification
8	Meetings of the Board
9	Vacancy not to affect the Constitution of the Board or Committee
	<b>CHAPTER III</b>
	<b>CONSTITUTION OF HIGH LEVEL COMMITTEE</b>
10	Constitution of High Level Committee for Devasthanam management and Yatra Coordination
11	Functions and Duties of High level Committee
12	Meeting Schedule
	<b>CHAPTER IV</b>
	<b>APPOINTMENT OF OFFICERS AND OTHER STAFF</b>
13	Appointment of the CEO
14	Officers to assist the CEO
15	Powers and functions of the CEO
16	Office of CEO
	<b>CHAPTER V</b>
	<b>PREPARATION AND MAINTENANCE OF REGISTERS BY RELIGIOUS INSTITUTIONS</b>
17	Preparation and maintenance of registers by Char Dham Devasthanam/Religious Institutions
18	Annual verification of the Registers
	<b>CHAPTER VI</b>
	<b>ADMINISTRATION AND MANAGEMENT OF CHAR DHAM DEVASTHANAMS</b>
19	Duties of rights of Trustee and Hak Hakkukdhari etc.
20	Trustee to furnish accounts, returns etc.
21	Inspection of property and documents
22	Vesting of certain properties in the Board
23	Vesting of immovable properties of Char Dham Devasthanams covered under the Act
24	Restriction on registration of documents
25	Recovery of immovable property unlawfully alienated
26	Removal of encroachment on the land and premises belonging to Char Dham Devasthanams
27	Power to act for protection and development of Char Dham Devasthanams

		<b>CHAPTER VII</b>
		<b>APPOINTMENT, ENGAGEMENT AND DISQUALIFICATIONS OF TRUSTEES, PRIESTS, RAWAL ETC.</b>
28	Procedure for making appointment and engagement of Priests, Rawal, Trustee etc. and their term	
29	Removal of Trustees, Priests etc.	
30	Disqualifications of Trustees, Priests and Rawals etc.	
31	Filling of vacancy in the office of Hereditary Priest Trustee, Rawal or Priests	
		<b>CHAPTER VIII</b>
		<b>FINANCE, CHAR DHAM FUND, MAINTENANCE OF BUDGET AND ACCOUNTS</b>
32	Finance, creation of Uttarakhand Char Dham Fund, Budget, Accounts and sums recoverable as arrear of land revenue.	
33	Recovery of Temple Dues	
34	Installation of Hundi	
35	Preparation and submission of Budget to the Board	
36	Maintenance of Accounts and Auditing	
		<b>CHAPTER IX</b>
		<b>OFFENCES AND PENALTIES</b>
37	Penalty of non compliance of the provisions of this Act by Trustee etc.	
38	Penalty for wrongful withholding of property belonging to the Religious Institutions and for establishing the duplicate of traditional idol at other place	
39	Offence to non-cognizable and bailable	
40	Cognizance of offence	
		<b>CHAPTER X</b>
		<b>MISCELLANEOUS</b>
41	Protection for action taken in good faith	
42	Power to remove difficulties	
43	Board may receive funds and undertake the development of Devasthanams etc. other than Hindu Devasthanams etc.	
44	Amendment in Schedule	
45	Act not to apply certain religious institutions	
46	Power to make Rules and Regulations	
47	Bar of Jurisdiction	
48	Overriding effect of Act	
49	Repeal and savings	

**THE UTTARAKHAND CHAR DHAM DEVASTHANAM MANAGEMENT ACT, 2019**

(Uttarakhand Act No. 06 of 2020)

AN

ACT

to provide rejuvenation for Char Dham and famous Temples located in Uttarakhand and to manage the Devasthanam Management Board.

Be it enacted by the Uttarakhand State Legislative Assembly in the seventieth year of the Republic of India as follows –

**CHAPTER I  
PRELIMINARY**

- Short title, extent & commencement** 1. (1) This Act may be called the Uttarakhand Char Dham Devasthanam Management Act, 2019.
- (2) It shall apply to Char Dham and other Devasthanams/temples given at A, B, C, D And E of Schedule annexed with this Act.
- (3) It shall come into force at once.
- Definitions** 2. **In this Act unless the context otherwise requires-**
- (a) **"Act"** means the Uttarakhand Char Dham Devasthanam Management Act, 2019;
- (b) **"Board"** means the Char Dham Devasthanam Board constituted under section 3 of this Act;
- (c) **"CEO"** means the Chief Executive Officer Professing Hindu Religion appointed under sub- section (1) of Section 13 from All India Services having pay grade of super time scale and includes officer who for the time being exercises the powers and performs the functions of a CEO under this Act or the rules made thereunder;
- (d) **"Char Dham"** means Shri Badrinath Dham, Shri Kedarnath Dham and the holy Devasthanams of Gangotri and Yamunotri in Uttarakhand, and temples as mentioned in Schedule of the Act and such temples as notified by State Government from time to time and it includes :-
- (i) All property movable or immovable belonging to or given for worship in, maintenance or improvement of, for the performance of any service or charity connected therewith; and
- (ii) The idols established in the temple, cloths, ornaments and other things for decoration etc;
- (e) **"Chairperson"** means Chairperson of the Board constituted under section 3 of the Act and in his/her absence the Vice Chairperson;
- (f) **"Donor"** means a person or organisation who has donated such amount in cash or kind or services which has been significant for the development of Char Dham Devasthanams in Uttarakhand;



- (g) **"Uttarakhand Char Dham Fund"** means a fund constituted and maintained under Section 32 of the Act;
- (h) **"Employee"** means person in the permanent employment under the Temple Committee or the Board;
- (i) **"Government"** means State Government of Uttarakhand;
- (j) **"Hak-Hakukdar"** means such person or particular community who is entitled to receive something in form of Dastur in temples/Religious Devasthanams/Ritual area mentioned in Schedule of Act according to traditional rights or prevailing tradition for performing Pooja;
- (k) **"Hereditary priest"** means the trustee or priest of a Char Dham Devasthanam/any religious institution succession to whose office is regulated by custom or devolves by any hereditary right;
- (l) **"Hindu Religion"** means such sect of Hindus professing Sanatan Dharm or having faith in it;
- (m) **"Holder of any right"** means a person appointed by the Temple Committee as per prevailing tradition and customary right at major temple or principal Devasthanam;
- (n) **"Member"** means member of the Board as mentioned in sub section (1) & (2) of section 3 of the Act;
- (o) **"Non-hereditary priest"** means a trustee or priest who is not hereditary;
- (p) **"Prescribed"** means prescribed by regulations made by the Board with approval of the Government under this Act;
- (q) **"Priest"** means Priest performing Puja in the temple or of a Deity as per the custom or usages and include "Panda", "Purohit" or other person who performs Puja-Archana or other rituals in a Devasthanam or in any regional institution;
- (r) **"Rawal"** means a person appointed in accordance with the existing customary rights for performing Puja and other religious functions at Shri Badrinath and Shri Kedamath, and includes both Rawal and Nayab Rawal;
- (s) **"Schedule"** means the schedule appended to this Act;
- (t) **"Section"** means Section of this Act;
- (u) **"Devasthanam"** means a place regarded as holy because of its association with divinity or a sacred person or relic, in form of building, place or otherwise.
- (v) **"Devasthanam Area"** means area notified by the State Government for the purpose of inclusion under this Act excluding area notified under the Archaeological Survey of India;
- (w) **"Temple"** means a place by whatsoever name known, used as a place of public religious worship, and dedicated to, or for the benefit of, or used as of right by, the Hindu community professing Sanatan Dharm or any section thereof as a place of public religious worship;

- (x) **"Trustee"** In relation to Char Dham Devasthanams, includes a person who had been dedicated to such Devasthanam by way of any custom, usage or denomination or by any duly recognized hereditary contribution;
- (y) **"Temple Committee"** means The Badrinath-Kedarnath Temple Committee as constituted under the U.P. Act No. XVI of 1939 and as amended by U.P. Act No. VII of 1964 or any other Committee constituted for management of temples under Schedule; and
- (z) **"Yatra Coordination"** means establishing coordination between various departments of State government for assuring proper and smooth conduct of Char Dham yatra in Uttarakhand and ensuring availability of proper facilities like safe drinking water, hygienic sanitation facilities, travel facilities, lodging and food facilities etc for the pilgrims.

## CHAPTER II CONSTITUTION, FUNCTIONS AND POWERS OF BOARD

### Constitution of Char Dham Devasthanam Board

3. (1) The State Government shall with effect from such date, as it may, by notification in the official gazette, appoint, constitute Char Dham Devasthanam Board to exercise the powers conferred on it and to perform the functions assigned to it under this Act.

(2) The Board shall consist of:-

#### (A) Official Members:

- (i.) The Chief Minister of State of Uttarakhand, who shall be the Chairperson of the Board and if the Chief Minister is not a Hindu, then he/she shall nominate a Senior Minister from Council of Ministers who is follower of Hindu religion and is qualified to be a member of the Board.
- (ii.) Minister in-charge of Culture and religious matters shall be the Vice-Chairperson. If he is not a Hindu then Chief Minister shall nominate a Senior Minister from Council of Minister who is follower Hindu Religion and is qualified to be a Member of the Board.
- (iii.) Chief Secretary of the Government of Uttarakhand shall be the Ex-officio member of the Board.
- (iv.) Secretary, Department of Tourism Government of Uttarakhand shall be the Ex-officio member of the Board.
- (v.) Secretary, Department of Culture and Religious Affairs, Government of Uttarakhand, shall be the Ex-officio member of the Board.
- (vi.) Secretary, Department of Finance Government of Uttarakhand, shall be the Ex-officio member of the Board.

(vii) Special Invitee from the Ministry of Culture, Government of India not below the rank of Joint Secretary.

(viii) CEO appointed under the Act shall be the Member Secretary.

**(B) Nominated Members**

- (i) The Member of Royal Family of Erstwhile State of Tehri as nominated by the State Government or his/her nominee.
- (ii) Member of Parliament (MP) of the State of Uttarakhand not exceeding **Three**, professing Hindu Religion nominated by the Parliament as recommended by the State Government.
- (iii) Such number of persons not exceeding **Six** to be nominated by the State Legislative Assembly as recommended by the State Government from amongst the Member of Legislative Assembly of the State professing Hindu Religion.
- (iv) Such number of persons not exceeding **Four** to be nominated by the State Government who are donors (past, present or future) having special interest in the Hindu religious matters.
- (v) **One renowned** person having wide experience in religious affairs of Hindu religion pertaining to Sanatan Dharma to be nominated by the State Government.
- (vi) **Three** renowned persons to represent the priests or hereditary priests, holder of any rights of Badri-Kedar, Yamnotri-Gangotri and from religious Devasthanams mentioned in Schedule of this Act to be nominated by the State Government.

(3) The Board shall be a body corporate with perpetual succession and a common seal, with powers subject to the provisions of this Act.

**Powers and Duties 4. of the Board**

- (1) The Board shall be the highest governing body for the purpose of Devasthanam Management under this Act with the powers to frame policies, make decisions to give effect to the provisions of this Act, budget formulation and sanction of expenditure and planning and management of Devasthanam area and modernisation of management systems.
- (2) The Board may give directions for safe custody, Preservation and Management of funds, valuable securities, jewelleryes, properties vested in all the Religious temples mentioned in Schedule of this Act.
- (3) Board shall prescribe the procedure for determining and disbursement of honorarium, pay, and allowances in the rules for person or agency or institution engaged by Board for smooth functioning of the Act and shall be paid from the Char Dham Fund of the Board.

- (4) The Board shall recommend to the State Government any amendment related to inclusion or exclusion of any other Hindu Religious Devasthanam in the Schedule of this Act from time to time, or levy of any cess/ fees in the interest of Devasthanam Management.
- (5) The Board Shall decide the terms and conditions of services of any person who has been in service and is serving in connection with the affairs of the Badrinath Kedarnath Trust Committee who has been subsumed for service under this Act with the consent of the State Government.
- (6) The Board shall supervise, direct and control all activities that may be conducive and incidental to the efficient management of the temples or for the convenience of the pilgrims.
- (7) The Board shall have power to constituted committee to hear any matter or dispute regarding customary and hereditary rights and rights of Hak-Hakukdar. The power of modification-addition of any type regarding the aforesaid shall lie in the Board.
- (8) Appeals against the decision of CEO may be filed before the Board within 30 days.

**Terms & conditions 5.  
of service of  
members**

- (1) A Nominated member of the Board shall hold the office for a period of five years at a time, which may be renewed by the State Government.
- (2) The term of the office of a official members of the Board appointed under Subclause (ii), (iii), (iv), (v), (vi), (vii) of clause (A) of Subsection (2) of section 3 shall come to an end as soon as he/she hold the office of profit under the State Government or Central Government, as the case may be.
- (3) The State Government, if it thinks fit, may remove any nominated member of the Board before the expiry of his/her term of office, after giving him/her a reasonable opportunity of hearing.
- (4) A member of the Board other than the Chairperson or Vice-Chairperson or Ex-officio Member shall be deemed to have vacated his/her seat if he/she cease to hold their office (ie MLA, MP etc) or is absent without reason sufficient in the opinion of the Board, from three consecutive meetings of the Board.
- (5) A casual vacancy in the Board shall be filled by the fresh nomination and the person nominated to fill the vacancy shall hold office only for the remainder of the term for which the member in whose place he/she was nominated.

**Disqualification and 6.  
Liabilities of  
Nominated  
Members**

- (1) The State Government may dismiss any nominated member of the Board covered under the Act on following grounds-
  - (a) if he/she is insolvent, or

- (b) he/she is of unsound mind and stands so declared by a competent court; or,
- (c) he/she has been convicted of any offence which involves moral turpitude; or
- (d) he/she has been convicted of any offence under this Act; or
- (e) he/she has directly or indirectly by himself/herself or through any partner have any share or interest in any firm/company carrying on the business of development, transport, contract, etc. in the affairs of the Board or Institutions under this Act; or
- (f) He/she has abused his/her position as member and in the opinion of the State Government or the Board as to render his/her continuance in the Board detrimental to the interests of the general public.

(2) No order of removal shall be made by the State Government or the Board under this section unless the member concerned has been given reasonable opportunity to show cause against the same.

(3) Notwithstanding anything contained in this Act every member of the Board shall be liable for the loss, waste or misappropriation of the Uttarakhand Char Dham Fund, if such loss, waste or misappropriation is a direct consequence of his/her wilful act. A suit for compensation may be instituted against him/her by the Board.

**Vacancy of  
nominated member  
on Disqualification**

7.

If a member of the Board is subject to any of the disqualification specified in section 6, his/her seat shall thereafter become vacant.

**Meetings of the  
Board**

8.

(1) The Board shall meet at least once in a year, at such place and follow such rules and procedures in regards to the transaction of the business at the meetings as the Board may decide:

Provided that if in the opinion of the Chairperson any business of urgent nature is to be transacted, he/she may convene a special meeting of the Board at such times as he thinks fit for the aforesaid purpose.

(2) All the meetings of the Board shall be presided by the Chairperson or , the Vice-Chairperson in his/her absence.

(3) No business shall be transacted at any meeting unless at least **six** members other than the Chairperson or the Vice-Chairperson are present.

(4) The CEO or the person performing the duties of the CEO shall be **ex-officio Secretary of the Board** and shall be responsible for the conduct of the business of the Board.

(5) Every decision of the Board shall, except as expressly provided by this Act, be by consensus.

- Vacancy not to affect the constitution of Board or committee** 9. (1) No act or proceeding of the Board thereof shall be called in questioned or invalidated on the ground merely of the existence of any vacancy or any defect in the constitution of the Board, as the case may be.  
(2) All persons discharging there functions under this Act shall be deemed to be Public servants within the meaning of Section 21 of Indian Penal Code 1860.

### CHAPTER III

#### Constitution of High Level Committee For Devasthanam Management & Yatra Coordination

**Constitution of High level Committee for 10. Devasthanam Management Yatra Coordination**

- (1) The State Government shall constitute a High level Committee for the purpose of inter departmental cooperation for smooth conduct of Yatra/pilgrimage.  
(2) The State Government by notification shall appoint following officers as members of the committee:
- Chief Secretary of Government of Uttarakhand - Chairperson
  - Principal Secretary/ Secretary Tourism - Member
  - Principal Secretary/ Secretary Culture - Member
  - Principal Secretary/ Secretary Finance - Member
  - Principal Secretary/ Secretary Revenue - Member
  - Principal Secretary/ Secretary Home - Member
  - Principal Secretary/ Secretary Public Works Development - member
  - Principal Secretary/ Secretary Urban Development - Member
  - Principal Secretary/ Secretary Rural Development - Member
  - Principal Secretary/ Secretary Health - Member
  - Principal Secretary/ Secretary Forest - Member
  - Principal Secretary/ Secretary Civil Aviation - Member
  - CEO - Member/Convenor
  - Divisional Commissioner Garhwal and Kumaon- Member
  - And such other Principal Secretary/ Secretary ranked officer whose role is deemed important in Yatra Coordination may be nominated from time to time

**Functions and duties of High level Committee** 11.

- (1) The High level Committee shall establish coordination between various departments for execution of the decisions to be taken by Board under this Act for smooth conduct of pilgrimage.  
(2) The Committee shall exercise all such powers delegated by the Board from time to time.

**Meeting Schedule** 12.

- (1) The High level Committee, for Yatra and Devasthanam Coordination, shall meet at least once in six months (6 months)

### CHAPTER IV

#### APPOINTMENT OF OFFICERS AND OTHER STAFF

**Appointment of CEO** 13.

- (1) The State Government shall appoint a CEO to exercise the powers and functions conferred upon, or entrusted to him/her, under this Act.  
(2) A person to be appointed as the CEO shall be a serving officer in All India Service in supertime scale and above.  
(3) The State Government may from time to time appoint such other officers and staff to assist the CEO as it may deem necessary.

- (4) The conditions of service of officers appointed under sub-section (2) shall be such as may be determined by the State Government
- Officers to Assist the CEO** 14. (1) The State Government may from time to time appoint such other officers like Additional CEO, Joint CEO, Estate Manager, Marketing Officer, Officer from Forest Department, Finance Officer, Engineers, Public Relation Officer, Vigilance Officer and support staff to assist the CEO as it may deem necessary.
- Powers and Functions of the CEO** 15. (1) Subject to the other provisions of this Act, the administration of Char Dham and associated temples mentioned in Schedule covered under the Act, shall be under the general supervision and control of the CEO and such supervision and control shall include the power to pass such orders which may be deemed necessary to ensure that such Devasthanams are properly administered and earnings are properly credited to the Uttarakhand Char Dham Fund and properly utilised. The CEO shall exercise the powers conferred on him/her and perform functions entrusted to him/her or under this Act and the rules framed thereunder.
- (2) The CEO shall undertake Devasthanam area development and activities such as boarding and lodging, medical services, hygiene sanitation facilities, adequate means of transportation, communication facilities, modernisation of management systems and welfare of Purohits and local stakeholders for the benefit of the worshippers, pilgrims and tourists without any distinction
- (3) The CEO shall make arrangements for the safe custody of the funds, valuables, gold, and jewellery and for the preservation of the property vested in the Deities and maintaining of proper accounts in respect thereof.
- (4) The CEO shall fix the remuneration of priests, office holders, trustee etc after approval from the Board
- (5) He/She shall be empowered to give appropriate directions to various District functionaries such as district administration, police administration, zila panchayat, Urban Local Bodies, and/or any other local bodies if required in the interest of smooth conduct of yatra in the State.
- (6) He/She shall do all such acts as may be incidental and conducive to the efficient management of the temples/Devasthanams for the convenience of the pilgrims.
- (7) The CEO shall carry out all such activities and duties as prescribed by the Board from time to time.
- Office of CEO** 16. (1) The Management structure of the Office of CEO along with the salaries, allowances, and other remuneration of all staff shall be paid out of the Uttarakhand Char Dham Fund, which may be supported by the State Government through Capital and Non- Capital Grant.

**CHAPTER V**  
**PREPARATION AND MAINTENANCE OF REGISTERS BY CHAR DHAM**  
**DEVASTHANAMS/RELIGIOUS INSTITUTIONS**

**Preparation and maintenance of registers by Char Dham Devasthanams/ Religious institutions**

17. (1) For each Devasthanam/ Temple covered under the Act, the CEO shall have a register prepared and maintained, in such form and manner as may be prescribed, showing —
- (a) The origin and history of the Devasthanam, the names of the past and present trustees and particulars as to custom or usages, if any, regarding succession to the office of the hereditary priest or the trustee etc.
  - (b) Particulars of the scheme of administration and the scale of expenditure.
  - (c) The name of all officers/persons to which any salary, emolument or honorarium is attached and the nature, terms and conditions of service in each case.
  - (d) The money, jewels, gold, silver, precious stones, idols, sculptures, antiques, vessels and utensils and other movables belonging to the Institution with their volume and weight, details of the constituent elements and estimated present value thereof.
  - (e) Particulars of immovable properties of the Institution, grants, rights, all title deeds, survey plan, and other documents, circulars, orders issued from time to time by the State Government, Temple Committee, the Board and the CEO.
  - (f) Particulars of details of constituent elements, coloured photographs of the idols and other images in or connected with the Devasthanam, whatever intended for worship or for being carried in processions.
  - (g) Particulars of ancient or historical records, manuscripts, with their contents and brief translation in Hindi language, and
  - (h) Such particulars as may be required by the CEO.
- (2) The above information mentioned in sub-section (1) shall also be stored in the form of a website for viewing on the internet under a suitable name chosen by the CEO.

Provided that each trustee, or his/her agent specially authorized by him/her on that behalf or the priest, or person having a control over the affairs and the activities, shall be required to submit an affidavit that the list of properties both movable and immovable, owned by the Institutions as shown in the register is correct and complete

**Annual verification18. of the Registers**

- (3) A copy of the register as approved by the CEO shall be made available to the trustee or priest.
- (1) The CEO, or any other officer appointed on behalf of him/her, shall scrutinize and update the entries in the register every year, or at such intervals of times in less than a year, as may be prescribed. The statement showing the alteration, omissions or additions in the register shall be approved by the CEO.



- (2) A copy of the order made under sub-section (1) shall be made available to the trustee, or priest.

#### CHAPTER VI

#### ADMINISTRATION AND MANAGEMENT OF CHAR DHAM DEVASTHANAMS

**Duties and rights of Trustee and Hak-Hakkudhari etc.**

19. (1) The matter of Dustoor/rights prevailing presently payable to priest/ trustee/ Teerth Purohits/ Panda related Hak-Hakkudhari shall remain as it is.
- (2) A Trustee of Char Dham Devasthanams covered under the Act, shall administer his/her office as per customs and usage of institutions and lawful directions which the CEO may give in respect thereof.
- (3) The Trustee /authorised agent shall scrutinise and bring to notice of CEO any omissions or wrongful entries in the registers prepared under section 17 or 18. Appeals against the decision of CEO taken under section 17 and 18 shall lie to the Board.

**Trustee to furnish accounts, returns etc.**

20. The Trustee of Char Dham Devasthanams covered under the Act, shall furnish to the CEO such accounts, returns, reports or other information relating to the administration of the Devasthanams/temples in his/her charge, its funds, property or income or money connected therewith, or the appropriations thereof as the CEO may require and at such times and in such form as he/she may direct.

**Inspection of property and documents**

21.

- (1) The CEO or any other person authorised by him/her in this behalf, may with due regard to the religious practices and usages of the Char Dham and Devasthanams, inspect all moveable and immovable property belonging to the Devasthanams and all records, correspondence, plans, accounts and other documents for the purpose of satisfying himself/herself that the provisions of this Act and the rules made there under are duly carried out and it shall be the duty of the trustee or priest of such Devasthanams and all officers working under him/her, his/her agent and any person having concern in the administration thereof to afford all such assistance and facilities as may be necessary or reasonably required in regard to such inspection, and also to produce any such moveable property or document for inspection, as required.
- (2) For the purpose of inspection as aforesaid the inspecting authority shall, subject to the local practice, custom or usage may enter at any reasonable time the premises of Char Dham Devasthanams or any place of worship covered under the Act.
- (3) Nothing in this section shall be deemed to authorise any person to enter the premises or place referred to in sub section (2) or any part thereof unless such person professes Hindu religion or the religion to which the premises or place belongs

**Vesting of certain properties in the Board**

22.

All properties belonging to Char Dham Devasthanams to which this Act applies, on the date of commencement of this Act, that are in the possession or under the superintendence of the Government, Zila Panchayat, Zila Parishad, Municipality,

property in the Board or any other local authority or in the possession or superintendence of any company, society, organisation, institutions or other person or any committee, superintendent appointed by the Government, shall, on the date on which the Board is or is deemed to have been constituted or members are or are deemed to have been appointed under this Act stand, transferred to the Board and all assets vesting in the Government, local authority or person aforesaid and all liabilities subsisting against such Movement, local authority or person on the said date shall, devolve on the Board:

Provided that the Board may further acquire land in or around the vicinity of the religious Devasthanam and other places as it would deem proper for its better development.

**Vesting of immovable properties of Char Dham Devasthanams covered under this Act**

23.

- (1) Notwithstanding anything contained in any law for the time being in force, no transfer by exchange, sale, mortgage or in any other manner whatsoever, and no lease of any immovable property belonging to, or given or endowed for the purposes of Char Dham Devasthanams covered under the act shall be made unless it is sanctioned by the CEO after approval from the Board and any transfer made in contravention of this sub-section shall be void and inoperative.
- (2) In accordance to such sanction, the CEO may be subject to such conditions and directions as he/she may deem necessary regarding the utilisation of the amount raised by the transaction, the investment thereof and in the case of a mortgage may declare regarding discharge of the same within a reasonable period.
- (3) A copy of the order of the CEO under this section shall be communicated to the trustee and shall be published in such manner as may be prescribed.
- (4) The trustee may within three months from the date of receipt of a copy of the order or any person having interest may, within three months from the date of publication of the order, prefer an appeal to such authority and in the manner as may be prescribed by the Board, who shall decide the order on merit as the case maybe.

**Restriction on registration of documents**

24.

Notwithstanding anything contained in the Registration Act, 1908 (Act No 16 of 1908) the registering authority shall not accept registration of any deed of alienation of immovable property belonging to Char Dham Devasthanams covered under the act unless a certified copy of the order made under section 23 sanctioning such alienation is filed along with the deed.

**Recovery of immovable property unlawfully alienated**

25.

If it comes to the knowledge of the CEO that any immovable property belonging to any Char Dham Devasthanams covered under the Act has been alienated in contravention of Section 23, then he/she shall refer the matter to Board and he/she shall initiate legal proceedings for the restoration of such property.

**Removal of encroachment on the land and premises belonging to Char Dham Devasthanams**

26.

- (1) The provisions contained in the Uttar Pradesh Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants) Act, 1972 (U.P. Act No. 22 of 1972) (as applicable to the State of Uttarakhand) or any other Act containing similar provisions, in respect of unauthorised occupation of any land or premises belonging to Char Dham Devasthanams covered under the Act and immovable property of Char Dhams, shall be in application as far as may be, as if it were the property of Government within the meaning of the Act.

- (2) The CEO under the Act mentioned above to remove the encroachment of the land/premises shall take action in accordance with the provisions of that Act.
- Power to act for protection and development of Char Dham Devasthanams** 27. (1) For the purpose of protection and development of the Char Dham Devasthanams, the Board shall recommend to the State Government to notify such area, in the vicinity of Devasthanams as Devasthanam areas. In areas thus notified, the Board shall be empowered to regulate proper maintenance of site and building and levy taxes with approval of State Government.
- (2) Subject to the directions given by the State Government, the Board may acquire any building or land through mutual negotiations, purchase, donation, transfer, lease, rent or otherwise. In addition it may also acquire any land, buildings in accordance with the provisions of law for the time being in force.
- (3) Where the CEO has the reason to believe that-
- (a) Any vicinity property belonging to Temples related to Char Dham Devasthanams covered under the Act is in danger of being wasted, damaged or improperly alienated by any trustee or any other person, or
- (b) The trustee or such persons threatens or intends to remove or dispose of the property,

The CEO may make such order for the purpose of staying and preventing the wastage, damage, alienation, sale, removal or dispensation of such property as he may deems fit.

#### CHAPTER VII

#### APPOINTMENT, ENGAGEMENT AND DISQUALIFICATIONS OF TRUSTEES, PRIESTS, RAWAL ETC.

- Procedure for making appointment and engagement of Priests, Rawal, Trustee etc. and their term.** 28. (1) In making the appointment of Priests, Rawal, Trustee etc for the Char Dham Devasthanams covered under the Act, as the case may be under this Chapter, the CEO with approval from the Board shall have due regard to the religious denomination, customary and hereditary rights.
- (2) The procedure for calling for applications for appointment of trustees, priests, Rawals etc, verification of antecedents and other matters shall be such as may be prescribed;
- Removal of Trustees, Priests, etc** 29. (1) The CEO may suspend, remove or dismiss the trustees, or a priest etc of any Char Dham Devasthanams covered under the Act on the following grounds:-
- (a) Persistent default in the submission of budgets, account reports and returns to the Board or CEO or any other officer authorised in this behalf.
- (b) Wilful disobedience of any direction or order issued, under the provisions of this Act or Rules made there under by the CEO or the Board or the Government, as the case may be.
- (c) Any malfeasance or misfeasance, breach of trust, or neglect of duty, misappropriation and fraudulent act, dishonest act in respect of religious institutions, temples, or alienation of any property in contravention of this Act or rule made there under.

- (d) Any Priest, Trustee etc found under the influence of intoxication of liquor or narcotic drugs or psychotropic substance in or around the temple, and
- (e) For unsoundness of mind or other mental or physical defects or infirmity, communicable disease which renders him/her unfit for discharging the functions of a trustee or a priest etc.  
Provided that no Trustee or Priest etc as the case may be, shall be removed or dismissed by the CEO under this section, unless he/she has been given reasonable opportunity of being heard.

(2) Any priest or trustee etc, whether hereditary or non-hereditary,, who is suspended, removed or dismissed by the CEO under sub-section (1) may within thirty days from the date of receipt or communication of the order of suspension, removal or dismissal, file an appeal to such authority and in the manner as may be prescribed by the Board.

(3) A hereditary priest or trustee so suspended, removed or dismissed may be allowed such maintenances as may be fixed by the CEO considering the financial condition of the person and institution.

**Disqualifications of 30.  
Trustees, Rawals,  
Priests etc.**

- (1) A person shall be disqualified for being appointed as, and for continuing to be, a Trustee or a Priest or Rawal , as the case may be –
- (a) If he/she is a discharged insolvent;
- (b) If he/she is of unsound mind and stands so declared by a High level court under the prevailing laws ;
- (c) If he/she is interested either directly or indirectly in a subsisting lease of any property or a contract or any work being done for the institution or endowment or is in arrears of any dues exceeding five hundred rupees payable to such institution to which he is appointed.
- (d) If he/she is appearing as a legal practitioner against the Institution to which, he is appointed.
- (e) If he/she has been sentenced by criminal court for an offence involving moral turpitude and such sentence has not been reversed by the first appellate court.
- (f) If he/she has acted adversely to the interest of the Institution in which he is serving.
- (g) If he/she is or has become an addict to intoxicating liquors, drugs, narcotic and psychotropic substances.
- (h) In case of non-hereditary priest or trustee or a priest or other concerned person, if he has not completed twenty one years of age; and
- (i) If he/she ceases to profess Hindu religion

**Filling of vacancy in31.  
the office of  
Hereditary Priest,  
Trustee, Rawal or  
Priest**

- (j) In case of Rawal if he/she ceases to be leading a celibate life or otherwise proved to be having a blemished character.
- (2) If trustee who fails to take charge, within thirty days from the date of his appointment shall cease to hold office.
- (1) When a permanent vacancy occurs in the office of the Hereditary Priest or a trustee, as the case may be, the next in the line of succession i.e. major descendent shall be entitled to succeed to the office and traditional rituals shall be followed in appointment of Rawal.
- (2) The Rawal and Naib Rawal of Shri Badrinath and Shri Kedarnath Temple shall be appointed in accordance of prevalent customs.
- (3) When temporary vacancy occurs in such office by reason of suspension or removal of hereditary priest or trustee etc. as the case may be, or by reason of his/her ceasing to hold office under the provisions of Sections 30, the next to the line of succession shall be appointed by the CEO or Devasthanam Board to discharge the functions of the trustee or priest or as the case may be until his/her disability ceases:  
Provided if such appointee is minor he/she shall perform his/her functions and duties under the supervision of such officer as the CEO may depute in this behalf.
- (4) When a permanent or temporary vacancy occurs in such an office and there is a dispute relating to the right of succession to the office or when such vacancy cannot be filled up immediately or when there is a dispute relating to the person who is entitled to act as such, the CEO may appoint a person engaged in activities related to worship in the same Devasthanam, as he may deem fit, to discharge the functions of the Priest or Trustee as the case may be until the disability of the trustee or Priest etc ceases or another hereditary Priest or trustee holds the office for such shorter term as the CEO may direct.

**Explanation** — In any appointment under this sub-section, the CEO shall consider the claims of the succession of the family members of the priest /trustee, if any.

- (5) Any person aggrieved by the order of CEO passed under this Section may appeal to Board within thirty days from the communication of the order.

**CHAPTER VIII  
FINANCE, CHAR DHAM FUND AND MAINTENANCE OF  
BUDGET AND ACCOUNTS**

**Finance, creation of32.  
Uttarakhand Char  
Dham Fund,  
Budget, Accounts  
and sums  
recoverable as  
arrear of land  
revenue.**

- (1) There shall be constituted a Fund to be called 'Uttarakhand Char Dham Fund' which shall be vested in and be administered by the CEO on approval of the Board and save as otherwise provided in this Act, shall consist of the following:—
- a. The earning or income accrued, to Char Dham Devasthanams covered under the Act, by way of donations, grants, loans, recoveries, rents, sales, lease, license fees, guptdans, cess, fees,

- interest from Bank Deposits, and other income of such Devasthanams or establishments.
- b. any income derived from the movable and immovable properties of the Temple;
  - c. Grant in aid from the State or Central Government and amount lying in credit of Board at the commencement of this Act.
  - d. Annual budget allotted to the Board by the State Government or the Central Government.
  - e. Annual contribution by the religious Devasthanams etc.
  - f. All fines and penalties imposed under this Act;
  - g. Any other gifts or contributions made by the public, local authorities or institutions.
- (2) All such funds shall be deposited in the account of the Board in a nationalized bank or other bank approved by the Reserve Bank of India and shall be maintained by the CEO or such officer as the Board may direct in this behalf. All incomes of religious Devasthanams and other religious institutions shall be credited to this fund.
  - (3) The CEO or any officer authorised by it in this behalf by the Board shall maintain proper accounts of this fund and be audited annually by the audit agency or Chartered Accountant approved by the Board and its balance sheet shall be published at the end of every Financial Year for the general public.
  - (4) The Accounts of the Board shall be audited by the Accountant General, Uttarakhand or any officer authorized by him/her on his/her behalf.
  - (5) The CEO, on obtaining sanction from the Board may incur expenditure for the fulfilment of the objects under this Act and pay the emoluments to its employees and honorarium to its members from this fund.
  - (6) The Board while allocating the budget for a particular Devasthanam shall consider and take into account its annual income, so that the income collected shall not be given to any other Devasthanam.
  - (7) The Board shall establish a Trust under the Indian Trust Act 1882 to receive donations, carry out work as mentioned under the Act and to carry out other work of public interest.

**Recovery of Temple 33.  
Dues**

All amounts due to the Temple including fines / penalties/ recovery of dues if any, imposed under this Act, shall without prejudice to any other mode of recovery be recoverable as arrears of land revenue as per the Uttar Pradesh Public Money (Recovery of Dues) Act 1965 (as applicable to the State of Uttarakhand) on a requisition made by CEO in that behalf.

**Installation of Hundi 34.**

- (1) The Board may install one or more receptacles (hereinafter referred to as Hundi) at such place or places in the Temple as it may think fit for placing of offerings by the pilgrims and devotees visiting the Temple.
- (2) The Hundi shall be operated by such person and in such manner as the Board may, from time to time, determine.
- (3) Such portion of the offerings placed in a Hundi as the Board may from time to time direct, shall be credited to the Uttarakhand Char Dham Fund.
- (4) No person shall, without being authorised by CEO in that behalf, go near or interfere in any manner with any Hundi installed in the Temple:

Provided that no such authorisation shall be required for going near any Hundi for the bona fide purpose of placing any offering therein.

- (5) Notwithstanding anything to the contrary contained in any law, custom, usage or agreement or in the record-of-rights, no Priest / Rawal etc. shall be entitled to any share in the offerings placed in any Hundi installed after the commencement of this Act.

**Preparation and submission of Budget to the Board**

35. (1) The CEO in consultation with trustee or priest etc shall prepare the annual budget for each Devasthanam which is governed under this Act.
- (2) Every such budget shall make adequate provisions for-
- (a) Scale of expenditure for the time being in force and customary expenditure.
- (b) The due discharge of all liabilities binding on the Institutions.
- (c) Expenditure on religious, educational and charitable purposes, developmental activities, facilities for pilgrims, maintenance of existing facilities and public conveyance and hygiene system.
- (d) Expenditure for the encouragement and the spread of religious instructions and activities, propagation of history of the Institutions consistent with their culture and for the improvement of the environment in or around such Devasthanams etc.
- (e) Expenditure on the repairs, maintenance, renovations of the buildings, temples and preservation and protection of the properties, and assets of the Char Dham Devasthanams.
- (f) Expenditure on the payment of salaries, balances, wages, honorarium and other payments of annuity etc.
- (3) The budget shall be presented before the board for approval. The CEO may make such amendment; repeal or extend in it as he may think appropriate, before presenting the budget finally for the approval of Board.

**Maintenance of Accounts and Auditing**

36. For each Devasthanam/temple regular accounts of all receipts and disbursements shall be kept. Such account shall be kept for each calendar year separately in such form and shall contain such particulars, as may be specified by the CEO and shall be duly subject to audit from time to time as decided by CEO.

**CHAPTER IX  
OFFENCES AND PENALTIES**

**Penalty for non compliance of the provisions of this Act by Trustee etc.**

37. If any trustee, officer, priest, representative or any other person concerned with the administration of the Char Dham Devasthanams covered under the Act-
- (a) Refuses or wilfully fails to comply with the provisions of this Act or the rules or the orders and directions made there under, or has been negligent in his/her duties or obstructs any proceedings taken or would be taken under this Act; or

		(b) Refuses or wilfully fails to furnish any report, statement, accounts or other information called under this Act or the Rules made thereunder or;
		(c) Wilfully misbehaves, abuses, the pilgrims / yatri, or causes breach of tranquillity of peace in and around the religious Devasthanam;
		he shall be punished with simple imprisonment for a term which may extend to three month or with fine which may extend to Ten thousand rupees, or with both.
<b>Penalty for wrongful withholding of property belonging to the Religious Institutions and for establishing the duplicate of traditional idol at other place</b>	<b>38.</b>	1. Any Person who-  (a) Having in his/her possession, custody or control, any property, document or books of accounts, belonging to any such Institutions, the management of which has been regulated under the provisions of this Act, wrongfully or illegally withholds the possession such property or document or books of accounts from the CEO or any other person duly authorized by him/her or does not furnish such account on being called by such officer or the CEO; or  (b) Wrongfully obtains possession or wrongfully retains possession of any property, document or books of account of such Institutions or wilfully withholds or fails to furnish or deliver to the CEO or any other person authorized by him/her in this behalf.  (c) Wrongfully retains, destroys and mutilated property, documents or books of account of such Institutions; he shall be punished with simple imprisonment for a term which may extend to three years or with fine which may extend to Rupees twenty five thousand or both.
<b>Offence to non-cognizable and bailable</b>	<b>39.</b>	Every offence punishable under this Act shall be non cognizable and bailable.
<b>Cognizance of offence</b>	<b>40.</b>	Every offence punishable under this Act shall be triable by Judicial Magistrate of First class. No court shall take cognizance regarding the offence mention in section 37 and 38 unless a written complaint is filled by the CEO or the person specially authorized by him/her in this behalf.
<b>CHAPTER X MISCELLANEOUS</b>		
<b>Protection for action taken in good faith</b>	<b>41.</b>	No suit, prosecution or other legal proceeding shall lie against any officer of the State Government or any other person exercising any power or discharge any duties under this Act for anything done or intended to be done in good faith under this Act or any rule made there under.
<b>Power to remove difficulties</b>	<b>42.</b>	(1) If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act the State Government, may by order, not inconsistent with the provisions of this Act, remove the difficulty. Provided that no such orders shall be made after the expiry of a period of two years from the commencement of this Act. (2) Every order made under this section shall, as soon as may be, after it is made, be laid before the State Legislative Assembly.



- Board may receive funds for the development of Devasthanams etc. other than Hindu Devasthanams etc.** 43. The Board may receive or procure funds from the State Government or Central Government or from other sources in form of donations, Corporate Social Responsibility funds, service charges, rent etc for the development of the Devasthanams or religious institutions belonging to other religion.
- Amendment in Schedule** 44. The State Government may, by notification in the official gazette, include such other Hindu religious Devasthanam and other temples as it deems necessary, by amending the schedule.
- Act not to apply to Religious institutions** 45. This Act shall not apply to the Waqfs governed by the Waqfs Act, 1995 and Sikh Gurudwaras Act, 1925 and other religious Institutions established under any Central Act or Acts of State.
- Power to make Rules and Regulations** 46. (a) The State Government may make rules to carry out all or any of the purposes of this Act.  
(b) Every rule made under this section, shall be laid, as soon as may be after it is made before the state Legislative Assembly.  
(c) The Board may make regulations for performing its functions.
- Bar of Jurisdiction** 47. Save as otherwise expressly provided in this Act, no suit or proceeding shall lie in any Civil Court against the State Government or against the Board or the CEO or any other official for anything done or purported to be done by any of them under the provisions of this Act.
- Overriding effect of the act** 48. The provisions of this Act shall have the overriding effect in notwithstanding anything inconsistent therewith contained in any other law for the time being in force or any scheme of management, decree, custom, usage or any instrument having effect by virtue of any law.
- Repeals & savings** 49. (1) The United Provinces Shri Badrinath Temple Act, 1939 (U.P Act No. XVI of 1939) and U.P. Shri Badrinath Temple (Sansodhan) Adhinyam, 1964 (Act No. VIII of 64) are hereby repealed.  
(2) Notwithstanding such repeal,  
(a) All rules, bye-laws, regulations made, notification or certificate issued, order passed, decision made, proceeding taken and other things done by any authority or officer under the repealed Acts shall in so far as they are not inconsistent with this Act be deemed to have been made, issued, passed or done by the appropriate authority or officer under the corresponding provision of this Act and shall have effect accordingly, until they are modified cancelled or suspended under the provision of the Act.  
(b) All proceedings pending before the Government any officer or authority under the provisions of the repealed Acts at the commencement of this Act may in so far as they are not inconsistent with the provisions of this Act, be disposed regularly by the appropriate authority under this Act.

**SCHEDULE**

**(A)**

- (1) Temple of Shri Badrinath situated in Garhwal and all other temples within its premises of the village of Badrinath in the Patti-Talla Pain Khanda, District-Chamoli, Garhwal including Shri Laxmi ji temple, the images of Garur, Hanumanji, Ghantakaran and includes all other minor images.
- (2) Shri Shankaracharya temple at Badrinath.
- (3) Shri Adi Kedareshwar Temple at Badrinath.
- (4) Shri Ballabhacharya Temple at Badrinath.
- (5) Tapta Kund at Badrinath.
- (6) Brahma Kapal, the shila at Baronet and Parikarma (Campus) at Badrinath.
- (7) Mata Muri Temple at Badrinath.
- (8) Yog Badri Temple at Pandukeshwar.
- (9) Bhavishya Badri at Subbain.
- (10) Narsingha Temple at Joshimath.
- (11) Basudev Temple at Joshimath.
- (12) Sri Durga Temple at Joshimath.
- (13) Raj Rajeshwari Temple at Joshimath.
- (14) Mahadev Temple at Jyoteshwar.
- (15) Bhakta Vatsalya Temple at Jyoteshwar.
- (16) Narayan Temple at Vishnu Prayag.
- (17) Sitadevi Temple at Chain.
- (18) Vridha Badri Temple at Arimath.
- (19) Dhyani Badri Temple at Urgam.
- (20) Shri Narsingha Temple at Pakhi.
- (21) Shri Narsingha Temple at Darmi.
- (22) Shri Laxmi Narayan Temple at Nand Prayag.
- (23) Shri Laxmi Narayan Temple at Kulsarsi.
- (24) Shri Laxmi Narayan Temple at Dwarhat, Almora.
- (25) Shri Laxmi Narayan Temple at Gudsir, Almora.
- (26) Shri Laxmi Narayan Temple at Bayala, Almora.
- (27) Panch Shilas within Badrinath Puri.
- (28) Panch Dharas with Badrinath Puri.
- (29) Dharmshila within Parikarma of Shri Badrinath Temple.
- (30) Vasudhara and Dharmshila at the bottom of the fall at Vasudhara.

**(B)**

- (1) Temple of Shri Kedarnath in Garhwal and includes the appurtenant and subordinate Devasthanams, etc.
- (2) Udak Kund at Kedarnath.
- (3) Minor Temples within precincts of Shri Kedarnath Temple.
- (4) The Temple of Shri Vishwanath Ji at Guptakashi.
- (5) Minor Temple within the precincts of Temple of Shri Vishwanath ji at Guptakashi.
- (6) The Temple of Shri Usha at Ukhimath.
- (7) The Temple of Shri Barahi at Ukhimath.
- (8) The Temple of Shri Madmaheshwar at Madmaheshwar.
- (9) The Temple of Shri Maha Kali at Kalimath.
- (10) The Temple of Shri Maha Laxmi at Kalimath.
- (11) The Temple of Shri Maha Saraswati at Kalimath.
- (12) The Temple of Shri Narayan at Trijugi Narayan.
- (13) Minor Temples within the precincts of the Temple of Shri Narayan at Trijugi Narayan.
- (14) The Temple of Shri Gauri Mayi at Gaurikund.

- (15) The Temple of Shri Tungnath at Tungnath.
- (16) The Temple of Shri Tungnath at Makku.
- (17) The Temple of Shri Kali Shila at Kali Shila.
- (C) The Temple of Yamuna ji, Shani Dev, Kunda, Shila etc. and all other minor temple in or around Yamunotri Devasthanam including temple of Shani Maharaj at village Khirsali.
- (D) Temple of Ma Ganga at Gangotri and all other minor temples in or around Gangotri Devasthanam including its "originating place:" at Gaumukh.
- (E)
- (1) Chandra Badri Temple at Tehri Garhwal.
  - (2) Raghunath Temple at Devprayag, Tehri Garhwal.
  - (3) Sem Mukhem Nagraja Temple at Tehri Garhwal.
  - (4) Shri Raj Rajeshwari Devi Temple at Chauras Srinagar (Pauri Garhwal)

By Order,

**PREM SINGH KHIMAL,**

*Secretary.*

### **Statement of objects and reasons**

At present the Shri Badrinath-Shri Kedarnath Act, 1939 is enforced for the management of Shri Badrinath and Shri Kedarnath Temple. Most of these provisions of this Act are no longer relevant in the present context. In view of this Uttarakhand Char Dham Devasthanam Management Bill, 2019 is being proposed.

2-Apart from this, it is very important to rejuvenate Gangotri, Yamunotri and other famous temples. For this, it is necessary to make Legal provisions for temples and Devasthanams located in Uttarakhand like Shri Vaishno Devi Mata Temple established in Jammu and Kashmir, Sai Baba, Jagannath and Somnath temples.

3-This Bill, thus will prove to be a milestone for the rejuvenation of Shri Badrinath, Shri Kedarnath, Gangotri, Yamunotri and other famous temples located in the State like Shri Vaishno Devi Mata Temple located in Jammu and Kashmir, Sai Baba, Jagannath and Somnath temples.

4-The proposed Bill fulfills the above objectives.

**(Satpal Maharaj)**  
**Minister.**